BCCI BULLETIN
Vol. 53 | SEPTEMBER 2022 | No. 9
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Estd. 1926

वित्त, वाणिज्य-कर एवं संसदीय कार्य मंत्री, बिहार सरकार की अध्यक्षता में जीएसटी एवं अन्य कराधान संबंधित मामलों में करदाताओं एवं अन्य हितधारकों के साथ आयोजित संवाद में चैम्बर शामिल हुआ

संवाद कार्यक्रम चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते राज्य कर विशेष आयुक्त श्री संजय कुमार मांवडिया। मंच पर आसीन हैं माननीय वित्त, वाणिज्य-कर मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, कर विशेषज्ञ श्री अरूण मिश्रा एवं अन्य।

संवाद कार्यक्रम में उपस्थित चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, जीएसटी उपसमिति के संयोजक श्री आलोक पोद्दार, कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष शंकर, श्री सुनील सराफ एवं अन्य।

कार्यक्रम में जीएसटी एवं कराधान विषयों पर सुझाव देते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी दाँयी और क्रमश: कर विशेषज्ञ श्री अरूण मिश्रा, माननीय वित्त, वाणिज्य-कर मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव डॉ. प्रतिमा।

जीएसटी (GST) एवं अन्य कराधान (Taxation) से संबंधित विषयों पर करदाताओं एवं हितधारकों से संबंधित मामलों पर संवाद हेतु श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री वित्त, वाणिज्य–कर मंत्री, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 20 सितम्बर, 2022 को मुख्य सचिवालय अवस्थित केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के सभागार में एक बैठक आयोजित हुई।

इस संवाद कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी0 के0 अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन0 के0 ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व उपाध्यक्ष एवं उद्योग उप समिति के संयोजक श्री सुभाष कुमार पटवारी, पूर्व महामंत्री श्री ए0 के0 पी0 सिन्हा, जीएसटी उप समिति के संयोजक श्री आलोक पोद्दार, कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष शंकर एवं श्री सुनील सराफ सम्मिलित हुए। चैम्बर की ओर से एक विस्तृत ज्ञापन माननीय मंत्री जी को समर्पित किया गया।

संवाद कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी0 के0 अग्रवाल का राज्य कर विशेष आयुक्त श्री संजय कुमार मांवडिया द्वारा पुष्पगुच्छ से स्वागत् किया गया।

उक्त संवाद में माननीय मंत्री जी ने कहा कि राज्य के विकास हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू करने में जीवन्त संवाद अत्यावश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य के आर्थिक विकास और आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में करदाताओं का बहुत योगदान होता है। हमारा प्रयास है कि करदाताओं के साथ एक विश्वास और भरोसे का रिश्ता कायम हो। राज्य में व्यापार एवं उद्योग हेतु कष्टमुक्त वातावरण का सृजन हो। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि किसी भी सूरत में करदाताओं को तंग न करें। करदाताओं की उचित अपेक्षाओं पर विभाग गौर करें। हमारी कोशिश होगी कि कर प्रशासन सरल और समस्या मुक्त बनाया जाये। आज प्रस्तुत किये गये समस्याओं एवं सुझावों पर गौर किया जायेगा।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी0 के0 अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन0 के0 ठाकुर, श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री आलोक पोद्दार ने जीएसटी एवं कराधान संबंधित समस्याओं एवं सुझावों को माननीय मंत्री के समक्ष विचारार्थ रखा।

कार्यक्रम के दौरान राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव डॉ0 प्रतिमा, राज्य कर विशेष आयुक्त श्री संजय मांवडिया, कर विशेषज्ञ श्री अरूण मिश्रा के अतिरिक्त विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

जीएसटी एवं अन्य कराधान से संबंधित विषयों पर कर दाताओं एवं हितधारकों से संवाद हेतु माननीय वित्त, वाणिज्य–कर मंत्री, बिहार श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में दिनांक 20 सितम्बर, 2022 को मुख्य सचिवालय अवस्थित केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के सभागार में एक बैठक आयोजित की गयी थी।

उक्त संवाद में मेरे अतिरिक्त चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन0 के0 ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी पूर्व उपाध्यक्ष एवं उद्योग उप समिति के संयोजक श्री सुभाष कुमार पटवारी, पूर्व महामंत्री श्री ए0 के0 पी0 सिन्हा, जीएसटी उप समिति के संयोजक श्री आलोक पोद्दार, कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष शंकर एवं सुनील सराफ सम्मिलित हुए।

चैम्बर की ओर से एक विस्तृत ज्ञापन माननीय मंत्री जी को समर्पित किया गया। **उक्त बैठक में माननीय मंत्री जी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी की किसी भी सूरत में करदाताओं को तंग न करें, उनकी उचित अपेक्षाओं पर गौर करें।** माननीय मंत्री जी को समर्पित ज्ञापन बुलेटीन के इसी अंक में आपकी सूचनार्थ प्रकाशित है।

संवाद कार्यक्रम में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से अन्य विषयों के अलावा माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह किया गया कि व्यावसायियों द्वारा विभाग में समर्पित आवेदनों/कागजातों की प्राप्ति रसीद निर्गत करने को अनिवार्य किया जाये। चैम्बर के सुझाव पर वाणिज्य–कर विभाग ने अगले ही दिन अपने पत्रांक 2596 दिनांक 21.9.2022 द्वारा विभाग के सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि कर दाताओं से प्राप्त आवेदनों/कागजातों की पावति पर कार्यालय की मुहर एवं तिथि युक्त हस्ताक्षर भी अंकित करना सुनिश्चित किया जाये। उक्त पत्र इसी बुलेटिन में आगे प्रकाशित है।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्, विदेश मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय एवं सामयिक परिवेश के संयुक्त तत्वावधान में हिन्दी दिवस के अवसर पर दिनांक 14 सितम्बर, 2022 को चैम्बर के सभागार में कवि–सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्, विदेश मंत्रालय की क्षेत्रीय निदेशक श्रीमती ताविशी बहल पांडेय भी उपस्थित थी। इस कार्यक्रम में मैं विशेष रूप से आमंत्रित था। साथ ही चैम्बर के कई पदाधिकारी एवं सदस्यगण भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम काफी अच्छा था।

भारत की अग्रणी चावल एवं अनाज मशीनरी प्रदर्शनी **'MOOKAMBIKA RICE & GRAINS TECH EXPO- 2022'** का **शुभारम्भ दिनांक 23 सितम्बर, 2022 को पटना के मिलर स्कूल के ग्राउंड में हुआ।** इस प्रदर्शनी में मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुआ। यह प्रदर्शनी 23–25 सितम्बर, 2022 तक लगायी गयी।

बिजली की दर में वृद्धि हेतु बिजली कम्पनी की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग दिनांक 27 सितम्बर, 2022 को सुनवाई हुई। **सुनवाई में चैम्बर की ओर से पूर्व उपाध्यक्ष एवं संयोजक, उद्योग उप समिति श्री सुभाष कुमार पटवारी उपस्थित थे। इन्होंने बिजली कम्पनी का विरोध करते हुए कहा कि बिजली का नुकसान कम्पनियों की गलती से हो रहा है। इसका भार उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाना चाहिये। उन्होंने आयोग से मांग की कि बिजली कम्पनी की पुनर्विचार याचिका को मंजूर नहीं किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने अगली सुनवाई की तिथि 11 अक्टूबर, 2022 निर्धारित किया।**

संसद ने दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति** को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य परिवहन की लागत को कम करना और देश के दूर–दराज के क्षेत्रों तक वस्तुओं की आपूर्ति बिना किसी रूकावट के तेज गति से करना है। **उम्मीद है कि इस नीति से व्यापारियों एवं उद्यमियों को फायदा होगा।**

पटना नगर निगम सहित राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं का अगले वर्ष से बिजली बिल बढ़ सकता है क्योंकि नगर विकास विभाग ने उपभोक्ताओं द्वारा खपत की जाने वाली बिजली पर 2.5 प्रतिशत सेस वसूलने का प्रस्ताव दिया है। इस पर बिजली कम्पनी ने मंथन शुरू कर दिया है। देश के किस–किस राज्य के निकाय क्षेत्र में बिजली सेस वसूल की जा रही है, बिजली कम्पनी इसकी जानकारी जुटा रही है। **अगर ऐसा होता है तो यह उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ेगी।**

देश की अर्थ व्यवस्था के लिए अच्छे संकेत मिल रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह अब तक 30 प्रतिशत बढ़कर 8.36 लाख करोड़ रूपये हो गया है। वितत मंत्रालय के मुताबिक इस वर्ष की शुरूआत से अभी तक प्रत्यक्ष कर संग्रह (रिफंड लौटाने से पहले) 8,36,225 करोड़ रूपये हुआ है। पिछले वर्ष 2020–21 की समान अवधि में यह 6,42,287 करोड़ रूपये रहा था। कुल एकत्रित प्रत्यक्ष कर संग्रह में कॉरपोरेट टैक्स की हिस्सेदारी 4,36,020 करोड़ और व्यक्तिगत आयकर (PIT) की हिस्सेदारी 3,98,440 करोड़ रूपये है। **यह कोरोना महामारी के बाद आर्थिक गतिविधियों के तेजी से पटरी पर लौटने का स्पष्ट संकेत है।**

केन्द्र सरकार देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन नीति बजट सत्र के पूर्व लागू करने का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय पर्यटन नीति में जहाँ इको टूरिज्म पर एंव वाइल्ड लाइफ टूरिज्म नीति पर फोकस होगा वहीं, पर्यटन स्थलों पर कनेक्टिविटी बढ़ाने, पर्यटन स्थलों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जायेगा।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कुछ नियमों में संशोधन करते हुए छोटी कम्पनियों के लिए समादत्त पूंजी और आवर्त क्रमशः 2 करोड़ से 4 करोड़ एवं 20 करोड़ से 40 करोड़ रूपये कर दिया है। इसकी अधिसूचना इसी बुलेटीन में प्रकाशित है।

दशहरा, दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं

सादर,

आपका
पी0 के0 अग्रवाल
अध्यक्ष

चैम्बर अध्यक्ष ने भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् एवं सामयिक परिवेश के संयुक्त तत्वावधान में ''हिन्दी दिवस'' के शुभ अवसर पर आयोजित कवि-सम्मेलन का उद्‌घाटन किया

कवि सम्मेलन का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।
उनकी बाँयी ओर श्रीमती ताविशी बहल पांडेय, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् विदेश मंत्रालय, भारत सरकार एवं अन्य।

कार्यक्रम मे पुष्प गुच्छ से चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल का स्वागत करती बालिका। साथ में श्रीमती ताविशी बहल पांडेय, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार एवं अन्य।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को मेमेन्टो भेंटकर सम्मानित करती बालिका। साथ में श्रीमती ताविशी बहल पांडेय एवं अन्य।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय एवं सामयिक परिवेश के संयुक्त तत्वावधान में हिन्दी दिवस के अवसर पर दिनांक 14 सितम्बर, 2022 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सभागार में कवि–सम्मेलन का आयोजन किया गया।

विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित चैम्बर अध्यक्ष श्री पी0 के0 अग्रवाल ने दीप प्रज्ज्वलित कर कवि सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की क्षेत्रीय निदेशक श्रीमती ताविशी बहल पांडेय ने स्वागत् सम्बोधन किया।

कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी0 के0 अग्रवाल का पुष्पगुच्छ से स्वागत् तथा अंगवस्त्रम एवं मेमेन्टो भेंट कर सम्मानित किया गया।

MOOKAMBIKA RICE & GRAINS TECH EXPO - 2022
में चैम्बर अध्यक्ष सम्मिलित हुए

एक्सपो का दीप प्रज्ज्वलित का उद्घाटन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल (बाँयें से दूसरे) एवं अन्य सम्मानित अतिथिगण।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल का पुष्पगुच्छ से स्वागत एवं मेमेन्टों भेंटकर सम्मनित करते कार्यक्रम के आयोजक

भारत की अग्रणी चावल एवं अनाज मशीनरी प्रदर्शनी MOOKAMBIKA RICE & GRAINS TECH EXPO - 2022 का दिनांक 23 सितम्बर, 2022 को पटना के मिलर स्कूल के ग्राउण्ड में शुभारम्भ हुआ। इस प्रदर्शनी में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी0 के0 अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी0 के0 अग्रवाल ने दीप प्रज्जवलित कर EXPO का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी दिनांक 23 से 25 सितम्बर 2022 तक चलेगी।

इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष का पुष्पगुच्छ से स्वागत् एवं शॉल तथा मेमेन्टों भेंट कर सम्मानित किया गया।

53 परियोजनाओं को निवेश के लिए मिला फर्स्ट क्लियरेंस

• 213 करोड़ का निवेश प्रस्ताव अकेले वैशाली में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में • 765.96 करोड़ रुपये लागत की हैं यह सभी 53 परियोजनाएँ

बिहार राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड ने 764.96 करोड़ की 53 परियोजनाओं को प्रथम चरण का क्लियरेंस दिया है। यह क्लियरेंस विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गुरुवार दिनांक 15.9.2022 को आयोजित बोर्ड की 41वीं बैठक में दिया गया है। हालांकि, बोर्ड की बैठक की समूची प्रोसीडिंग अभी जारी नहीं हो सकी है।

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक जिन 53 इकाइयों को प्रथम क्लियरेंस दिया गया है, उनमें सबसे बड़ी परियोजना वैशाली में एक खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाने की है। इस इकाई के लिए 213 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इसके अलावा राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड की इसी बैठक में 164.62 करोड़ की 11 परियोजनाओं को वित्तीय मंजूरी दी। अब इन परियोजनाओं को काम शुरू करने के लिए वित्तीय सुविधाएँ हासिल हो सकेंगी।

मुजफ्फरपुर में ब्रांडेड ट्रैवल बैग फैक्टरी स्थापित की जायेगी : उद्योग विभाग की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर में ब्रांडेड ट्रैवल बैग बनाने की सबसे बड़ी फैक्टरी स्थापित हो रही है। बिहार में इस तरह की यह सबसे बडी़ फैक्टरी होगी। ट्रेवल बैग बनाने के लिए लगभग 960 मशीनें लगाने में जीविका दीदी और उद्योग विभाग मिल कर काम कर रहे हैं। यह फैक्टरी दिसम्बर 2022 तक शुरू होने की उम्मीद है।

15 स्टार्ट अप को दूसरी किस्त 23 को मिलेगी : उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने जानकारी साझा की है कि वे 24 स्टार्ट अप, जिन्हें हालिया स्टार्ट अप पॉलिसी के तहत पहली किस्त जारी की गयी थी। उनमें से 15 अनुशंसित स्टार्ट अप को दूसरी किस्त 23 सितम्बर को विकास आयुक्त बिहार की अध्यक्षता में आयोजित एक समारोह में दिया जायेगा। दरअसल हाल ही में आयोजित बैठक में विशेषज्ञ पैनल के सामने इन स्टार्ट अप्स ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं। बिहार उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर बोर्ड की बैठक के संदर्भ में जरूरी जानकारियाँ साझा की हैं।

(साभार : प्रभात खबर, 17.9.2022)

प्रदेश में बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को छह महीने में शुरू करना होगा उत्पादन

बिहार के औद्योगीकरण में तेजी लाने के लिए हाईकोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण आदेश

पटना हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट : औद्योगिक इकाई छह महीने के भीतर उत्पादन शुरू करें नहीं तो वे अदालत की अवमानना के लिए उत्तरदायी होंगे।

बिहार में औद्योगीकरण में तेजी लाने के लिए पटना उच्च न्यायालय ने कई बंद औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए छह सूत्री वचनबद्धता हलफनामा दाखिल करने के बाद अनुमति दे दी जो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारण (बियाडा) के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि औद्योगिक इकाई छह महीने के भीतर उत्पादन शुरू करें नहीं तो वे अदालत की अवमानना के लिए उत्तरदायी होंगे।

बेगूसराय जिले के उमेश सर्विसिंग स्टेशन द्वारा विभिन्न तकनीकी आधारों पर आवंटित भूमि को रद करने के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ के समक्ष यह मुद्दा आया। बियाडा के वकील प्रशांत प्रताप ने अदालत को सूचित किया था कि कृषि उपकरणों की निर्माण इकाई को भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन वहाँ अनधिकृत काम किया गया था। इसका उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। अधिवक्ता प्रताप ने कहा कि भूमि जैसे दुर्लभ औद्योगिक संसाधनों को आवंटी द्वारा मुकदमेबाजी में घसीटा जा रहा है। संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने बियाडा को औद्योगिकीकरण की गति को बढ़ाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सभी लंबित मुकदमों/डिफाल्टर इकाइयों का विवरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। बियाडा ने रिपोर्ट दाखिल की जिसमें बताया गया कि लीज होल्ड भूमि पर 494 औद्योगिक इकाइयाँ गैर-कार्यात्मक पाई गई हैं, जिनमें से 151 इकाइयाँ उच्च न्यायालय और अन्य मंचों के समक्ष मुकदमे में हैं और शेष 270 डिफाल्टर इकाइयों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने संबंधित पक्षों के लिए उपस्थित अधिवक्ताओं के साथ बातचीत और चर्चा की कि बिहार में तेजी से औद्योगिक विकास कैसे हो सकता है, इसके उपरांत कई एक औद्योगिक इकाइयों को अनुमति दे दी गई, समय-समय पर जब उन्होंने हलफनामा के द्वारा बचनबद्धता को दाखिल किया। खंडपीठ ने उमेश सर्विसिंग स्टेशन को अपने उद्योग के पुनरुद्धार के लिए अनुमति दी, जब 5 पांचवें हलफनामा अधिवक्ता विकास कुमार के द्वारा दायर किया गया जो अदालत द्वारा निर्धारित छह बिंदुओं की शर्तों के अनुरूप पाया।

वचनबद्धता की शर्तें : • स्वीकृत और अनुमत उत्पाद के संदर्भ में इकाई में साठ दिनों के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना होगा • बियाडा को देय सभी बकाया राशि का भुगतान करना होगा • कर्मचारी हित की रक्षा के लिए सहित सभी नियमों का पालन करें • वचनबद्धता का पालन न करने की स्थिति में उद्योगपति परिसर को खाली कर बियाडा को सौंप देगा और अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए उत्तरदायी होगा। (**साभार : दैनिक जागरण, 15.9.2022**)

चीनी उद्योग की स्थापना और क्षमता विस्तार के लिए 15 करोड़ का अनुदान

गुड़ खांडसारी की नयी पॉलिसी तैयार की जा चुकी थी। प्रस्तावित पॉलिसी के मुताबिक बिहार में चीनी उद्योग की स्थापना एवं क्षमता विस्तार पर सरकार की ओर से अधिकतम 15 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा। साथ ही डिस्टिलरी की स्थापना और क्षमता विस्तार पर अधिकतम पाँच करोड़ रुपये देने का प्रावधान भी किया गया है। यह जानकारी हाल ही में हुई विभाग की एक बैठक में साझा की गयी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक नयी पॉलिसी के तहत को-जेन की स्थापना एवं क्षमता विस्तार पर अधिकतम 15 करोड़ का अनुदान देने का प्रावधान है। हालांकि इस पॉलिसी का कैबिनेट से अनुमोदन बाकी रह गया है। इधर एक अन्य जानकारी के मुताबिक गन्ना उद्योग विभाग बॉयलर मुक्त खांडसारी प्लांट लगाने पर विचार कर रहा है। गुड़ नीति के अनुमोदन के बाद इस तकनीक को बिहार में लागू करने पर विचार किया जायेगा। यह तकनीक पूरी तरह स्वदेशी है। इस तकनीक में बचे बगास/ बायोमास का शत प्रतिशत इस्तेमाल कर टूजी इथेनॉल का निर्माण किया जाता है।

(**साभार : प्रभात खबर, 7.9.2022**)

उद्योग के लिए 10 हजार एकड़ जमीन का लैंड बैंक बनेगा : उद्योग मंत्री

उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि बिहार में उद्योगों का विकास तेजी से होगा। इसके लिए 10 हजार एकड़ भूमि का लैंड बैंक बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले से चल रहे उद्योगों के समक्ष आने वाली समस्याओं को दूर किया जाएगा। लेकिन, नए उद्योगों के लिए जमीन की आवश्यकता है। इसके लिए सभी जिलों में जमीन चिह्नित करने का निर्देश दिया गया है। महासेठ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आमसभा में बोल रहे थे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अधिकारियों को संचालित उद्योगों पर आगे कार्रवाई नहीं करने को कहा गया है। पहले से जो कार्रवाई चल रही है, उसकी समीक्षा होगी।

(**साभार : दैनिक भास्कर, 12.9.2022**)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत युवा उद्यमी को मिलेगा 50 लाख तक का लोन

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमइजीपी) एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है, जिसे एमएसएमइ मंत्रालय द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को उनका अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सर्विस यूनिट के लिए प्रोजेक्ट लागत 20 लाख रुपये और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 50 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है।

पीएसइजीपी योजना के तहत प्रोजेक्ट : एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग, सीमेंट और संबद्ध उत्पाद, केमिकल और पॉलीमर एंड मिनरल्स, कॉल्ड स्टोरेज एंड कोल्ड चेन सॉल्यूशन, डेयरी और दूध उत्पाद, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, कचरा प्रबंधन, सर्विस सेक्टर आदि प्रोजेक्ट शामिल हैं।

(**विस्तृत : प्रभात खबर, 14.9.2022**)

पीरपैंती में टाइल्स क्ले का भंडार

मिट्टी भी सोना : कोयला खान के ऊपर टाइल्स क्ले की मोटी परत, बनेगा औद्योगिक हब

60 मिलियन टन कोयले का हर साल पीरपैंती में होता है खनन

भागलपुर में पीरपैंती कोयला खान के ऊपर की मिट्टी भी सोना है। यहाँ उच्च कोटि का वर्ल्ड क्लास टाइल्स क्ले मिला है। इससे उच्च गुणवत्ता का टाइल्स बनेगा। इसके लिए खान एवं भूतत्व विभाग व्यापक कार्ययोजना बना रहा है। वहां टाइल्स इंडस्ट्री (औद्योगिक हब) लगाने की योजना है।

इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग उद्योग विभाग से संपर्क में है। उसकी मदद से वहाँ टाइल्स यूनिट स्थापित होगी। यदि किसी कारणवश वहाँ उद्योग विभाग की सहायता से ऐसी इंडस्ट्री स्थापित नहीं हो सकी, तो खान एवं भूतत्व विभाग खुद इसकी पहल करेगा। ऐसी स्थिति में खनिज निगम यहाँ अपने स्तर से यूनिट लगाएगा। विभाग इस कार्ययोजना पर काम कर रहा है कि कैसे इस खास मिट्टी का बेहतर उपयोग किया जाए। कितनी मात्रा में टाइल्स बन सकता है, कैसे बन सकता है, यह सब देखा जा रहा है। यहाँ उद्योग लगने से बिहार सरकार के खजाने में न केवल भारी भरकम राशि आएगी बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। माना जा रहा है कि विभाग को जितना राजस्व अभी आता है, उसमें कई गुनी वृद्धि होगी।

इसके अलावा टाइल्स के लिए बाहर के राज्यों पर निर्भरता भी कम होगी। यहाँ उपलब्ध टाइल्स क्ले से जो टाइल्स बनेगा, उसकी गुणवत्ता काफी उच्च कोटि की होगी, लिहाजा उसे अन्य राज्यों को भेजा भी जा सकता है। उत्पादन बढ़ने पर विदेशों तक उसका निर्यात हो सकेगा।

बिहार का पहला कोयला भंडार है यहाँ : भागलपुर के पीरपैंती में कोयला का भंडार है। वहाँ का कोयला ग्रेड-12 कोटि का है और इसका कई उपयोग हो सकता है। वहाँ जमीन के अंदर 230 मिलियन टन कोयले का भंडार है, लेकिन वह 90 मीटर के बेस में है। खान विकसित होने के बाद हर साल 60 मिलियन टन कोयले का खनन किया जाएगा। इनके निकट मिर्जापुर में भी 200-300 मिलियन टन कोयले का भंडार मिला है। वहाँ खनन के लिए अलग से कार्ययोजना बनेगी।

"पीरपैंती में कोयला खान के ऊपर टाइल्स क्ले मिला है। यह उच्च गुणवत्ता का है और इससे हाई क्वालिटी का टाइल्स बन सकता है। हम इसके लिए कार्ययोजना बना रहे हैं। उद्योग विभाग के संपर्क में हैं। उनके सहयोग से वहाँ यूनिट लगाने की योजना है। जरुरत पड़ी तो हम खुद इसके लिए पहल करेंगे। टाइल्स इंडस्ट्री से हमें राजस्व तो मिलेगा ही, बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।"

– हरजोत कौर बम्हरा, अपर मुख्य सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग

(साभार : हिन्दुस्तान, 11.9.2022)

पर्यटन स्थलों के लिए बनेगी नई नीति

बिहार में नई पर्यटन नीति बनाने को लेकर विभागीय स्तर पर काम शुरू हो गया है। इस नीति में ग्रामीण पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दी जाएगी। गाँव के पर्यटन स्थलों को विकसित कर उसका प्रचार-प्रचार करना इस नीति का मकसद है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 11.9.2022)

निजी कंपनियों को रेल पहिया बनाने का न्योता

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने पहियों का निर्यातक बनने का खाका तैयार किया है। इसके तहत पहिया संयंत्र लगाने के लिए एक निविदा जारी की गयी है जहाँ हर साल कम से कम 80, 000 पहियों का निर्माण किया जायेगा। इन पहियों की 600 करोड़ रुपये मूल्य में सुनिश्चित खरीद की जायेगी। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि रेलवे ने भारत में रेल पहिया संयंत्र लगाने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया है। इस मेक इन इंडिया संयंत्र में तेज रफ्तार वाली ट्रेनों और यात्री कोचों के लिए पहिये बनाये जायेंगे। उन्होंने बताया कि 1960 से ही यूरोपीय देशों से पहियों का आयात हो रहा है। फिलहाल रेलवे बड़े पैमाने पर यूक्रेन, जर्मनी और चेक गणराज्य से पहिये आयात करता है।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 10.9.2022)

पीएलआई योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी

उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के दायरे को कुछ इलेक्ट्रॉनिक घटकों, फार्मा और चिकित्सा उपकरणों जैसे क्षेत्रों तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर सरकार में चर्चा चल रही हे। मामले से जुड़े एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। इसके अलावा खिलौने, फर्नीचर, साइकिल और कंटेनर उद्योग को पीएलआई योजना में शामिल करने पर भी चर्चा चल रही है। इस योजना का मकसद घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, निर्यात को बढ़ावा देना और रोजगार के मौके बढ़ाना है। सरकार ने पिछले साल ऑटोमोबाइल और ऑटो कलपुर्जे, व्हाइट गुड्स, कपड़ा, उन्नत रसायन सेल (एसीसी) और विशेष इस्पात सहित 14 क्षेत्रों के लिए लगभग दो लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस योजना को शुरू किया था।

(साभार : हिन्दुस्तान, 13.9.2022)

जिलों में होगा उद्यमिता जागरुकता कार्यक्रम

• उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम के तहत फुटवियर प्रशिक्षण पाँच से • 30 कार्यदिवस के दौरान जूता और चप्पल बनाने की दी जाएगी ट्रेनिंग

युवाओं को उद्यमिता का पाठ पढ़ाने के लिए पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विकास एवं सुविधा कार्यालय की ओर से कैमूर, जमुई और लखीसराय में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम एवं आरा में उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 22.9.2022)

बियाडा का बदला जायेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर : उद्योग मंत्री

उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ दिनांक 22.8.2022 को बियाडा पहुँचे। उन्होंने कहा कि नये नियम के बाद जिन उद्यमियों की जमीन का आवंटन रद्द किया गया है, उस पर विचार कर उसे कैंसिल किया जायेगा। उद्यमियों की जमीन का आवंटन रद्द करने पर तत्काल रोक लगा दी गयी है। एक दिन में 300 फैक्टरियों का निरीक्षण कर जिस जमीन का आवंटन रद्द किया गया है, उसकी भी समीक्षा होगी। इसमें अगर अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाये गये, तो उन पर तुरंत कार्रवाई होगी।

उन्होंने कहा कि बियाडा का इन्फ्रास्ट्रक्चर भी बदला जायेगा। उद्योग मंत्री ने केन्द्र सरकार की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी इंस्पेक्टर नीति से व्यापारी व उद्यमी परेशान हैं। बिहार के उद्यमियों के लिए ही कानून बनता है, जबकि बड़े औद्योगिक घरानों के लिए कानून नहीं बनता है। बियाडा में उद्योग चलाने वाले उद्यमी अपने प्रोडक्ट की और बेहतर बनाएँ।

(साभार : प्रभात खबर, 23.8.2022)

सरकार मक्का के कारोबार को देगी बढ़ावा : सुधाकर सिंह

बिहार सरकार मक्का के भंडारण, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्तरी बिहार में सभी तरह की आधारभूत सुविधाओं का निर्माण एवं विकास करेगी। पूर्णिया में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आइसीडी) खोला जायेगा। इसकी स्थापना रेलवे, सरकारी संस्था, निजी संस्था अथवा पीपीपी मोड में की जाये, इसको लेकर अध्ययन कराया जायेगा। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने 23.8.2022 को बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद एवं बिहार कृषि उत्पादन मूल्य संवर्द्धन प्रणाली (बावास) के कामकाज की समीक्षा में बिहटा में खुलने वाले आइसीडी की तरह ही पूर्णिया में संसाधन विकसित करने के निर्देश दिये हैं। बैठक में बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद-सह-निदेशक, बावास रवीन्द्र नाथ राय, सहायक प्रशासक-सह-उपनिदेशक, बावास सनत कुमार जयपुरियार तथा एफपीओ के नोडल पदाधिकारी शंकर कुमार चौधरी भी उपस्थित रहे।

(साभार : प्रभात खबर, 24.8.2022)

जीआई टैग से मिथिला मखाना को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान

कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि राज्य के विशिष्ट उत्पादों के निर्यात और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। मिथिला मखाना को जीआई टैग मिलना इसी प्रयास की एक सफलता है। मिथिला मखाना को जीआई टैग मिलने से अब राज्य के 5 कृषि उत्पादों को अब तक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। पूर्व में वर्ष 2016 में भागलपुर के जर्दालू आम और कतरनी धान, नवादा के मगही पान तथा मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग मिल चुका है।

श्री सिंह ने कहा कि भारत में मखाना का कुल 90 प्रतिशत उत्पादन बिहार में होता है, इसलिए मखाना फसल के भौगोलिक सूचक में मिथिला मखाना के नाम से प्रस्तावित किया गया था। वैश्वीकरण के इस युग में अपनी पौराणिक, प्राकृतिक एवं बौद्धिक सम्पदा को अक्षुण्ण रखने के लिए कृषि विभाग तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिको के मार्गदर्शन में मखाना के भौगोलिक सूचक के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। विगत लगभग 5 वर्षों से अथक प्रयास कर 1000 से अधिक पन्नों का मखाना के ऐतिहासिक दस्तावेजों को संग्रहित कर भौगोलिक सूचक में आवेदन किया गया। इसका फलाफल आज हमलोगों को मिथिला मखाना के नाम सफलता मिली है।

उन्होंने कहा कि उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग द्वारा मखाना के विकास के लिए विशेष योजना क्रियन्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत मखाना उत्पादक मुख्य नौ जिलों जैसे -मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, कटिहार एवं पूर्णिया के अतिरिक्त इस वर्ष दो नए जिलों-सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चम्पारण को मखाना विकास योजना में शामिल किया गया है। राज्य स्तर पर भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय, पूर्णिया

को नोडल केन्द्र बनाया गया है। राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न सरकारी संस्थानी जैसे राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर, एपीडा एवं उद्यमियों के साथ कार्यशाला, प्रशिक्षण, प्रक्षेत्र दिवस आदि कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को जागरूक किया गया है, जिससे किसानों की आर्थिक उन्नति हुई।

मंत्री ने कहा कि अपने उत्तम गुणवत्ता वाले प्रोटीन एवं स्टार्च के कारण मखाना एक उत्तम खाद्य है एवं कई रोगों में गुणकारी होने के कारण इसको आज के अधुनिक जीवन का सुपर फूड कहा जाता है। मखाना के जीआई टैगिंग से किसानों को विपणन में अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मखाना की विशेष ब्रांडिंग होगी, साथ ही साथ किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति होगी। **(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 22.8.2022)**

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने छोटी कम्पनियों की परिभाषा में बदलाव किया है। छोटी कम्पनियों के Paid up capital की वर्त्तमान सीमा जो 2 करोड़ थी, उसे बढ़ाकर 4 करोड़ किया गया है, साथ ही Turnover की वर्त्तमान सीमा 20 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ किया गया है। इस संबंध में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना संख्या- GSR700 (E) दिनांक 15 सितम्बर 2022 की प्रति आपकी सूचनार्थ उद्धृत है: –

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
सी. जी.-डी. एल. - अ. - 15092022-238857
CG-DL-E- 15092022-238857

असाधारण
Extraordinary
भाग 11 - खण्ड 3 - उप-खण्ड (i)
PART II-Section 3 - Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 620 नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 15, 2022/भाद्र 24, 1944
No. 620 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 15, 2022/BHADRA 24, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2022

सा. का. नि. 700 (अ). - केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (परिभाषा संबंधी ब्यौरों के विनिर्देश) नियम, 2014 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (परिभाषा संबंधी ब्यौरों के विनिर्देश) संशोधन नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. कंपनी (परिभाषा संबंधी ब्यौरों के विनिर्देश) नियम, 2014 में, नियम 2 में, उप नियम 1 में, खंड (न) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :-

"(न) इस अधिनियम की धारा 2 के खंड 85 के उपखंड (i) और उपखंड (ii) के प्रयोजनों के लिए, लघु कंपनी की समादत्त पूंजी और आवर्त क्रमश: चार करोड़ रुपये और चालीस करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा।"।

(फा. सं. 1/13/2013-सीएल- V, भाग-1
मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) संख्या सा. का. नि. 238 (अ.) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए और संख्या 123 (अ) तारीख 19 फरवरी, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

मखाना के बाद केला में है बिहार का स्वर्णिम भविष्य

बिहार के मखाना को जीआई टैग मिलने के साथ इसकी मांग विदेशों में भी बढ़ी है। मखाना के बाद उद्यमियों के लिए केला स्वर्णिम भविष्य साबित होगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में लाल केले की खूब मांग है। हाजीपुर का चिनिया केला 'लाल केला' प्रजाति में से ही है।

ये बातें मंगलवार दिनांक 23.8.2022 को एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग कन्क्लेव में एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (अपीडा) के बिहार-उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय प्रमुख सह एजीएम डॉ. सी. बी. सिंह ने कही। कहा कि भारत से 220 हजार करोड़ रुपये का निर्यात होता है, जिसमें से बिहार का हिस्सा महज चार हजार करोड़ रुपये का ही है। पटना में मात्र 140 करोड़ रुपये का प्रसंस्करण उद्योग है जो देश का मात्र दशमलव 2 प्रतिशत है। ऐसे में सभी को मिलकर प्रयास करना होगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 24.8.2022)

खनिजों के खनन में फंसा है नियमावली का पेच

राज्य में पहली बार सोना, पोटाश, निकेल और क्रोमियम सहित अन्य खनिजों का खनन शुरू करने के लिए नियमावली का पेंच फंसा है। हालांकि, लघु खनिजों के खनन की नियमावली जरूर बनी थी। ऐसे में बड़े खनिजों का खनन शुरू करने के लिए नियमायली बनाने की प्रक्रिया चल रही है। खनिजों का खनन सरकार की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। साथ ही आम लोगों के रोजी-रोजगार और राज्य के आर्थिक विकास में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। ऐसे में नियमावली बनने के बाद खनन एजेंसी का चयन कर खनिजों के खनन की प्रक्रिया नये साल में शुरू होगी। सूत्रों के अनुसार नियमावली में खनिजों के खनन के तरीके, खनन करने वाली एजेंसी को दी जाने वाली जिम्मेदारी, खनन के पट्टे, समय-सीमा और उनसे मिलने वाले राजस्व सहित ढुलाई से लेकर बिक्री की नीति तय की जायेगी। खान एवं भूतत्व विभाग इसकी तैयारी में लगा है और नियमावली को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जायेगा।

राज्य में यहां हैं खनिज : सूत्रों के अनुसार केन्द्रीय कोयला मंत्रालय ने राज्य में ग्लूकोनाइट (पोटाश), क्रोमियम, निकेल और प्लैटिनियम ग्रुप ऑफ एलिमेंट, मैग्नेटाइट (आयरन) व बॉक्साइट सहित दुर्लभ धातुओं के कुल नौ ब्लॉक व्यावसायिक खनन के लिए आवंटित किये हैं। गया और औरंगाबाद जिले की सीमा पर मदनपुर प्रखंड के डेंजना और आसपास के इलाकों में करीब आठ वर्ग किमी क्षेत्र में निकेल और क्रोमियम पाया गया है। वहीं, रोहतास जिले में करीब 25 वर्ग किमी इलाके में पोटाश पाया गया है। इसमें रोहतास जिले का नावाडीह प्रखंड में 10 वर्ग किमी, टीपा प्रखंड में आठ किमी और शाहपुर प्रखंड में सात किमी का इलाका शामिल है। साथ ही जमुई के सोना प्रखंड में देश का लगभग 44 प्रतिशत सोना मिल सकता है। इसके अलावा भागलपुर के पीरतैंती और कहलगाँव के नजदीक मौजूद कोयले का ग्रेड जी-12 उपलब्ध है।

(साभार : प्रभात खबर, 21.8.2022)

बिजली परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे जनप्रतिनिधि

बिहार में चल रही बिजली परियोजनाओं का कार्यान्वयन, सतत अनुश्रवण व समीक्षा जनप्रतिनिधि करेंगे। केन्द्र सरकार की ओर से लिए गए निर्णय के आलोक में बिहार में भी जिलास्तरीय विद्युत समिति (दिशा) गठित की गई है। वरीय सांसदों की अध्यक्षता में गठित इस समिति में जिला परिषद के अध्यक्ष को भी शामिल किया गया है। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।

समिति में जिले के वरीयतम सांसद अध्यक्ष होंगे। जबकि जिले के अन्य सांसद समिति के उपाध्यक्ष होंगे। जिलाधिकारी को इस समिति का संयोजक बनाया गया है। जबकि जिले के जिला परिषद के अध्यक्ष को सदस्य बनाया गया है। वहीं, जिले के सभी विधायक इस समिति के सदस्य होंगे। जिलों में कार्यरत विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के केन्द्रीय उपक्रमों के वरीयतम प्रतिनिधि या उनके द्वारा संबंधित जिलों के लिए नामित पदाधिकारी भी समिति के सदस्य

होंगे। वहीं, संबंधित विद्युत वितरण कंपनी के विद्युत आपूर्ति अंचल के विद्युत अधीक्षण अभियंता समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति का कार्य भी परिभाषित कर दिया गया है। जिलों के विद्युत संरचना के निर्माण कार्य का सतत अनुश्रवण व समन्वय स्थापित करना इस समिति का दायित्व होगा। सभी केन्द्रीय परियोजनाओं की कार्य प्रगति एवं गुणवत्ता की समीक्षा, विद्युत संरचना एवं विद्युत नेटवर्क की प्रगति की समीक्षा दिन-प्रतिदिन, ओएंडएम के कार्यों हेतु नए विद्युत संरचना के निर्माण को चिहिनत करना भी इस समिति का दायित्व होगा। बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता की समीक्षा यह समिति कर सकेगी। विद्युत उपभोक्ताओं को मानक के अनुसार विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता की समीक्षा, लोगों द्वारा मिली शिकायतों के निवारण की समीक्षा समिति कर सकेगी।

समिति की बैठक 3 माह में कम से कम एक बार होगी : समिति की बैठक तीन महीने में कम से कम एक बार जिला मुख्यालय में आहूत की जाएगी। समिति की बैठक ससमय हो, यह जिम्मेदारी संयोजक एवं सदस्य सचिव की होगी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 5.9.2022)**

पिछले साल नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी देश में 21वें पायदान पर थी, इस बार 34 वें पर पहुंची, साउथ बिहार भी 25 वें से 39वें स्थान पर आई, सी (माइनस) ग्रेड मिला

रैंकिंग : बिहार की बिजली कंपनियों का प्रदर्शन पिछले साल से खराब

ऊर्जा मंत्रालय ने देश की 52 सरकारी बिजली कंपनियों की रेटिंग जारी की है। साल 2012 से की जा रही इस रेटिंग व रैंकिंग में इस बार बिहार की दोनों वितरण कंपनियों का प्रदर्शन पिछले वर्ष से भी खराब हो गया है। पिछले वर्ष नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड देश में 21वें पायदान पर थी जो इस बार 34 वें पायदान पर आ गई है। जबकि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पिछले साल देश में 25वें पायदान पर थी जो इस बार 39वें स्थान पर आ गयी है। दोनों ही कंपनियों को सी-(माइनस) ग्रेड मिला है जो सबसे खराब की श्रेणी में है।

हालांकि कई मानकों में लगातार सुधार कर रही बिहार की बिजली कंपनियों ने देश के कई राज्यों मसलन उत्तरप्रदेश, तामिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, झारखण्ड, मणिपुर जैसे राज्यों को पछाड़ दिया है। केन्द्र सरकार ने बिजली कंपनियों की रेटिंग व रैंकिंग के लिए वित्तीय प्रदर्शन में 75, प्रदर्शन मानक पर 13 और बाहरी तत्वों पर 12 अंक तय किए थे। सभी मानकों में साउथ की तुलना में नॉर्थ बिहार कंपनी बेहतर स्थिति में है।

बीते वर्षों में बिहार की रेटिंग

साल	कंपनी का स्थान
अगस्त 15	नॉर्थ बिहार 11वाँ, साउथ बिहार 23वाँ
जून 16	नॉर्थ बिहार 25वाँ, साउथ बिहार 17वाँ
मई 17	नॉर्थ बिहार 17वाँ, साउथ बिहार 21वाँ
जुलाई 18	नॉर्थ बिहार 17वाँ, साउथ बिहार 30वाँ
अक्टूबर 19	नॉर्थ बिहार 22वाँ, साउथ बिहार 25वाँ
जुलाई 21	नॉर्थ बिहार 21वाँ, साउथ बिहार 25वाँ
अगस्त 22	नॉर्थ बिहार 34वाँ, साउथ बिहार 39वाँ

रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ बिहार कंपनी ने राज्य के 21 जिले के उपभोक्ताओं से 8887 करोड़ की आमदनी की। हालांकि इसके बावजूद कंपनी 802 करोड़ नुकसान में है। कंपनी ने 10 हजार 656 मिलियन यूनिट बिजली की बिक्री की। बिलिंग क्षमता 76.7 फीसदी तो बिल वसूली की क्षमता 90.3 फीसदी है।

वहीं साउथ बिहार के अधीन 17 जिलों के उपभोक्ता हैं। कंपनी ने 10 हजार 513 करोड़ की आमदनी की इसके बावजूद 1140 करोड़ के नुकसान में है। साउथ बिहार में 13 हजार 54 मिलियन यूनिट की बिजली बिक्री की। कंपनी की बिलिंग क्षमता 72.4 फीसदी तो वसूली क्षमता 82.5 फीसदी है।

"रेटिंग पर बिजली कंपनियों की ओर से आपत्ति जताई गई है। पिछले वर्ष की तुलना में हमने कई मानकों में सुधार किया है। इसलिए रैंकिंग चाहे जो भी हो, रेटिंग पूर्व से कम नहीं होना चाहिए।"

– संजीव हंस, प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग सह सीएमडी, बिजली कंपनी

(साभार : हिन्दुस्तान, 23.8.2022)

कारोबारी को अकारण परेशान न करें वाणिज्य कर अधिकारी

निबंधन रद करने का विकल्प अंतिम हो, हितधारकों से संवाद करें, सुझाव लें, सीमावर्ती क्षेत्रों पर रखें विशेष नजर

वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभाग के अधिकारियों को कहा है कि किसी भी कारोबारी का निबंधन रद करने के निर्णय का चयन अंतिम विकल्प के रूप में करें। किसी करदाता को अकारण परेशान न करें। इससे राजस्व की वसूली सहज होगी। कारोबार के लिए सकारात्मक माहौल भी बनेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के अपने कर-संग्रहण में वाणिज्य कर विभाग का योगदान 78.25 प्रतिशत है। इसी आधार पर राज्य सरकार विकास की योजनाएं बनाती है। चालू वित्तीय वर्ष में विभाग के कर-संग्रहण का लक्ष्य 35,887 करोड़ रुपये निर्धारित है। अधिकारी इस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करें। उन्होंने करदाताओं से शिकायत प्राप्त करने के लिए मुख्यालय स्तर पर एक कोषांग के गठन का निदेश दिया। चौधरी ने विभाग द्वारा जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न हितधारकों-करदाता, उद्योग जगत के संगठन, अधिवक्ताओं एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट के संगठन समन्वय एवं संवाद पर जोर दिया। छोटे अंतराल पर इन हितधारकों से संवाद स्थापित किए जाएँ। ताकि उन्हें जीएसटी कानून में किए गए संशोधनों की समय पर जानकारी दी जा सके। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 11.9.2022)**

लगातार छठे महीने जीएसटी संग्रह 1.4 लाख करोड़ के पार

अगस्त में 1,43,612 करोड़ रुपये रहा कर संग्रह, 28% की वृद्धि

जीएसटी संग्रह में तेजी का सिलसिला जारी है और लगातार छह महीनों से 1.40 लाख करोड़ से अधिक का जीएसटी संग्रह हो रहा है। अगस्त में 1,43,612 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह रहा जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 28 प्रतिशत अधिक है। पिछले साल अगस्त में 1,12,020 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह हुआ था। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 2.9.2022)**

जीएसटी संग्रह अक्तूबर से 1.5 लाख करोड़ रुपये के पार जाने की उम्मीद

जीएसटी संग्रह अक्तूबर के महीने से और अधिक वृद्धि हो सकती है। दरअसल, राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि अक्टूबर से जीएसटी संग्रह 1.5 लाख करोड़ रुपये के पार रहने की उम्मीद है। पिछले छह महीने से यह लगातार 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है, लेकिन अब तक यह 1.5 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार नहीं किया है।

अगस्त में जीएसटी संग्रह 1.43 लाख करोड़ रुपये रहा, जो सालाना आधार पर 28 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, यह जुलाई में 1.49 लाख करोड़ रुपये से कम है। केवल एक बार अप्रैल, 2022 में जीएसटी संग्रह रिकॉर्ड 1.67 लाख करोड़ रुपये रहा था।

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के कार्यक्रम में बजाज ने कहा कि पिछले एक-दो महीने से 1.5 लाख करोड़ रुपये पर पहुँचने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कभी 2, 000 करोड़ रुपये और कभी 6,000 करोड़ रुपये से पीछे रह जाते हैं। मुझे भरोसा है कि अक्टूबर के बाद जीएसटी संग्रह लगातार 1.5 लाख करोड़ रहेगा। **(साभार : प्रभात खबर, 15.9.22)**

दिनांक 20 सितम्बर 2022 को माननीय मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा-यह सुझाव दिया गया था कि व्यवसायियों द्वारा विभाग में समर्पित आवेदन/ कागजात की प्राप्ति रसीद निर्गत करने को अनिवार्य बनाया जाय।

चैम्बर के सुझाव पर वाणिज्य-कर विभाग ने अपने पत्रांक - 2596 दिनांक 21 सितम्बर 2022 द्वारा विभाग के सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि करदाताओं से प्राप्त आवेदनों / कागजातों की पावती पर कार्यालय की मुहर एवं तिथि युक्त हस्ताक्षर भी अंकित करना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त पत्र की प्रति माननीय सदस्यों की सूचनार्थ उद्धत है:-

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

पत्रांक : बिक्री कर/ विविध-58 /2015/2596 पटना, दिनांक - 21.9.2022

प्रेषक,
डॉ. प्रतिमा,
राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव,
बिहार, पटना।

सेवा में,
सभी राज्य कर अपर आयुक्त,
सभी राज्य कर संयुक्त आयुक्त,
सभी राज्य कर उपायुक्त,
सभी राज्य कर सहायक आयुक्त,
बिहार, पटना।

विषय : कार्यालय में समर्पित आवेदन/ कागजात हेतु प्राप्ति रसीद निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आहूत बैठक में इस बात के स्पष्ट निदेश दिये गये थे कि किसी भी करदाता/हितधारक को उनके द्वारा दाखिल किये जानेवाले आवेदन अथवा दस्तावेज के लिये प्राप्ति रसीद प्रदान की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि माननीय मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग की अध्याक्षता में दिनांक 20.9.2022 को हितधारकों के साथ आयोजित संवाद में यह तथ्य प्रमुखता से उठाया गया एवं विभाग के सभी कार्यालयों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया।

एतद द्वारा निदेशित किया जाता है कि सभी कार्यालय किसी करदाता/ हितधारक द्वारा दाखिल किये जाने वाले आवेदन अथवा दस्तावेज के लिये प्राप्ति रसीद प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। पावती पर कार्यालय की मुहर एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर भी अंकित किया जायेगा।

उपर्युक्त निदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन
ह/-
राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव,
बिहार पटना।

बैंकों के पास 500 करोड़ की संपत्ति गिरवी पड़ी

राज्य में बैंकों के पास 500 करोड़ रुपये की गिरवी के तौर पर रखी संपत्ति मौजूद है, लेकिन इसके बदले लिए ऋण से कोई किस्त नहीं मिल रही है। न ही इन संपत्तियों को बैंक वाले नीलाम कर अपनी बकाये राशि को ही चुक्ता कर पा रहे हैं।

इसकी मुख्य वजह जिलास्तर पर बैंकों के पास गिरवी रखी इन संपत्तियों को अंतिम रूप से जब्त कर इनकी नीलामी करने की प्रक्रिया में संबंधित जिला प्रशासन के स्तर से सहयोग प्राप्त नहीं होने से ये गैर-उपयोगी संपत्ति के तौर पर पड़े हैं।

इस मामले को लेकर वित्त विभाग ने सभी जिलों के डीएम को यह निर्देश दिया कि बैंकों की मदद करें और उन्हें इन संपत्तियों की नीलामी करने की प्रक्रिया पूरी करने में हर मदद करें ताकि गिरवी रखी इन संपत्तियों का निपटारा कर इसके ऐवज में राशि वापस बैंक में जमा कराये। इससे बैंकों के एनपीए के रूप में फंसे रुपये काफी हद तक वापस हो सकेंगे। इस मामले को लेकर वित्त विभाग के स्तर पर हुई समीक्षा में यह बात सामने आयी कि ऐसे पाँच हजार मुकदमे जिला स्तर पर दर्ज हैं, लेकिन इनकी समुचित सुनवाई एडीएम के स्तर पर नहीं होने के कारण ये अटके हुए हैं। इसमें 200 मामले बड़े हैं, यानी इनमें करोड़ या इससे ज्यादा के ऋण डूबे हुए हैं।

आरबीआई के मुताबिक, 500 करोड़ रुपये बैंकों की गिरवी रखी संपत्तियों में सिर्फ फंसे हुए हैं। प्रत्येक जिला में एक एडीएम रैंक के पदाधिकारी को बैंकिंग से जुड़े ऐसे मामलों का निपटारा करने के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही इसके लिए सरफेसई एक्ट भी बना हुआ है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 5.9.2022)

IGST ON OCEAN FREIGHT LIKELY TO BE SCRAPPED

The government is considering scrapping integrated goods and service tax (IGST) on ocean freight and a proposal is likely to be taken up by the GST Council next month. The move comes after the Supreme Court struck down the IGST on ocean freight. This is likely to bring relief to importers awaiting clarity and tax refunds post the judgement.

People familiar with the deliberations told ET that the legal review post the Mohit Mineral case verdict is over and a proposal to remove the tax would be taken to the council. "Both the law ministry and law committee of the GST Council is of the view that the IGST on ocean freight must be scrapped as per the Supreme Court verdict," an official quoted above said.

The official added that this would be part of the GST Council's agenda for the upcoming meeting.

(Sourrce : E. T. (New Delhi) 23.8.2022)

चक्कों की संख्या से तय होगी वाहनों के वजन ढोने की क्षमता

गाड़ियों के चक्कों की संख्या के अनुसार वजन ले जाना होगा। इससे अधिक वजन ले जाने पर गाड़ी मालिकों को जुर्माना देना होगा। परिवहन सचिव पंकज कुमार पाल की ओर से इस बाबत आदेश जारी किया गया है।

विभाग के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना में 16 जुलाई 2018 द्वारा टायरों के आकार, प्रकृति और संख्या को ध्यान में रखते हुए परिवहन यान जिसमें मोटर कैब को छोड़कर हर प्रकार की गाड़ियों के लिए वजन तय किया गया है। इसके बावजूद नियमों के पालन करने में विभाग को शिकायत मिल रही है। इसके बाद ही विभाग ने यह आदेश निकाला है। इस आदेश के बाद नियम का पालन नहीं करने वालों पर नियमानुसार 25 हजार से अधिक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

अगर गाड़ी मालिक चाहते हैं कि उनकी गाड़ी में वजन बढ़ाया जाये तो इसके लिए वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र यानी आरसी में बढ़े हुए वजन की जानकारी को जोड़ना होगा। इस पक्रिया में वाहन मालिक को उसके लिए टैक्स भरना होगा। ऐसा नहीं करने वाले गाड़ियों से जुर्माना लिया जायेगा। गाड़ियों के वजन की माप करने के लिए सभी जगहों पर धर्म कांटा पूर्व से हैं। यहाँ वजन की जाँच होती है और ओवरलोडिंग को पकड़ा जाता है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 20.8.2022)

2024 में बन जायेगा कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल

सुविधा : झारखण्ड से नेपाल तक होगा सीधा कनेक्शन

• 9.76 किमी होगी मुख्य पुल की लंबाई • 22.76 किमी होगी एप्रोच सहित पुल की कुल लंबाई • 67 पायों पर केबल के सहारे टिका होगा पुल • 160 मीटर होगी दो पायों के बीच की दूरी

गंगा नदी पर कच्ची दरगाह से बिदुपुर सिक्स लेन पुल का निर्माण 2024 में पूरा हो जायेगा। हालांकि, निर्माण पूरा होने की समय सीमा 30 जून, 2023 ही थी, लेकिन कई वजहों से इसमें देरी हुई। अब एक बार फिर से काम में तेजी आयी है। इसके सभी पाये बन चुके हैं, साथ ही राघोपुर दियारा की तरफ एप्रोच रोड का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। अब बख्तियारपुर की तरफ फ्लाइओवर और एप्रोच रोड बनाया जायेगा। इसकी कनेक्टिविटी बख्तियारपुर फोरलेन से होगी। वहीं आने वाले कुछ सालों में आमस-दरभंगा नयी फोरलेन सड़क की कनेक्टिविटी भी इस पुल से हो जायेगी। ऐसे में कच्ची दरगाह से बिदुपुर सिक्सलेन पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा।

नवादा, मुंगेर से उत्तर बिहार जाने वालों को पटना आने की जरूरत नहीं : इस पुल से नवादा, मुंगेर या नालंदा से आने वाली गाड़ियों को उत्तर बिहार जाने के लिए पटना आने की जरूरत नहीं होगी। दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार आवागमन में करीब 60 किमी की दूरी कम हो जायेगी। साथ ही जेपी सेतु, महात्मा गाँधी सेतु और राजेन्द्र सेतु पर गड़ियों का दबाव कम हो जायेगा। इस रास्ते झारखण्ड के इलाके से उत्तर बिहार होते हुए नेपाल सीमा तक पहुँचना आसान होगा। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 22.8.2022)**

एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट में पहले पटना एयरपोर्ट का स्थान 71वाँ था, अब है 66वाँ

सेवा गुणवत्ता में पटना एयरपोर्ट पाँच पायदान ऊपर

एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा बीती तिमाही (अप्रैल-जून) में किये गये एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे की रिपोर्ट में पटना एयरपोर्ट पाँच पायदान ऊपर पहुँच गया है। दुनिया के 200 से अधिक बड़े और व्यस्त एयरपोर्ट पर यात्री सेवा के बारे में हवाई यात्रियों के अनुभव के आधार पर अंक देते हुए यह सर्वे किया गया था। इसमें अच्छी सेवा के लिए 4.65 इंडेक्स प्वाइंट के साथ पटना एयरपोर्ट को 66वाँ स्थान मिला है, जबकि इसके पहले की तिमाही (जनवरी जून) में इसे 4.62 इंडेक्स प्वाइंट के साथ 71वाँ स्थान मिला था।

इन क्षेत्रों में मिले पहले से कम अंक : • दुकानदारों और फूड कोर्ट मे खाना परोसने वालों का व्यवहार • गेट एरिया में बैठने की सुविधा • एयरपोर्ट की ओर इंगित करने वाले साइनेज • चेक इन में वेटिंग टाइम • बैगेज ड्रॉप में लगने वाला समय • सिक्युरिटी जाँच में लगने वाला समय और जाँचकर्मियों का व्यवहार • वाइफाइ सर्विस क्वालिटी • वाशरूम की सफाई

(विस्तृत : प्रभात खबर, 5.9.2022)

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दी अनुमति

अब बीएस-6 वाहनों में भी सीएनजी व एलपीजी किट

सरकार ने भारत चरण-छह (बीएस-6) उत्सर्जन मानकों वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों में सीएनजी और एलपीजी किट लगाने की अनुमति दे दी है। अभी तक, ऐसे बदलाव की अनुमति केवल बीएस-4 उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के लिए थी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा, मंत्रालय ने बीएस-6 पेट्रोल वाहनों में सीएनएजी और एलपीजी किट लगाने और बीएस-6 वाहनों के मामले में 3.5 टन से कम डीजल इंजनों को सीएनजी/एलपीजी इंजन से बदलने की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना 'रेट्रोफिटमेंट' के लिए अनुमोदन आवश्यकताओं को निर्धारित करती है। सीएनजी पर्यावरण अनुकूल ईंधन है और पेट्रोल और डीजल इंजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और धुएँ आदि के उत्सर्जन स्तर को कम करेगा।

खतरनाक सामान ढोने वाले वाहनों में ट्रैकिंग उपकरण अनिवार्य : स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक और जोखिमपूर्ण सामान की ढुलाई करने वाले वाहनों के ठिकाने का पता लगाने के लिए 'ट्रैकिंग' उपकरण लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम एक सितम्बर या उसके बाद विनिर्मित माल ढुलाई वाहनों पर लागू होगा। एन 2 और एन 3 श्रेणियों के वाहन जो खतरनाक और जोखिपूर्ण सामान ले जाते है, उनमें अनिवार्य रूप से 'ट्रैकिंग' उपकरण लगाया जायेगा।

वाहन कलपुर्जा बिजनेस में हो सकती है दो अंकों की वृद्धि : गाड़ियों के कलपुर्जा के कारोबार में चालू वित्त वर्ष में दो अंकों की वृद्धि आने की उम्मीद है। वाहन कलपूर्जा उद्योग ने वित्त वर्ष 2021-22 में सबसे अधिक कारोबार दर्ज किया था। वाहन कलपुर्जा विनिर्माता संघ के अनुसार, इस क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में 4.2 लाख करोड़ रुपये का कारोबार किया। जो 2020-21 की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक है। वाहनों की बिक्री बढ़ने और आपूर्ति बाधाएँ कम होने से कारोबार में वृद्धि हुई है। **(साभार : प्रभात खबर, 23.8.2022)**

अब पैसेंजर ट्रेनों की बोगियों में भी डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड

अब पैसेंजर ट्रेनों के यात्री भी वंदे भारत, तेजस एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस के यात्रियों की तरह सफर की अनुभूति प्राप्त कर सकेंगे। पैसेंजर ट्रेनों की बोगी में बैठे-बैठे यात्री यह जान सकेंगे कि पीछे कौन सा स्टेशन छूटा है, ट्रेन अभी कहाँ से गुजर रही है और आगे कौन सा स्टेशन आने वाला है। गंतव्य स्टेशन पर उतरने के लिए उन्हें कई किमी पहले सीट से उठ कर गेट पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर ट्रेन के रनिंग स्टेटस के अलावा असामाजिक तत्वों से बचाव को लेकर अलर्ट और संरक्षा संबंधी अन्य जानकारियाँ भी मिलती रहेंगी। रेलवे ने इसके लिए सभी नए वंदे भारत के सवारी डिब्बों, तेजस व हमसफर एक्सप्रेस, एसी इकोनॉमी सवारी डिब्बों, ईएमयू व मेमू ट्रेन की बोगियों में डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाने की योजना बनाई है।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 22.8.2022)

मेट्रो शुरू होने पर आधा घंटे में पहुँचा जा सकेगा दानापुर से पीएमसीएच

पटना मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हो जाने पर दानापुर कैंट से पटना जंक्शन की दूरी 15 मिनट में जबकि दानापुर से पीएमसीएच की दूरी महज 30 मिनट में तय की जा सकती है।

पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी के मोइनुल हक स्टेडियम में पटना मेट्रो रेल परियोजना के भूमिगत कार्य के शिलापट्ट का अनावरण किया था। मेट्रो को लेकर राजधानी में भूमिगत काम चल रहा है। योजना के मुताबिक दानापुर कैंट से पटना जंक्शन तक भूमि के अंदर से यानी टनल के जरिए मेट्रो रेल गुजरेगी। गोला रोड से पाटलिपुत्र स्टेशन तक भी जमीन के अंदर से मेट्रो रेल गुजरेगी। यह व्यवस्था बेली रोड को लिंक करेगी। करीब 32 किलोमीटर तक दूरी करने वाली मेट्रो रेल 18 किलोमीटर तक जमीन के अंदर से गुजरेगी। यानी 18 किलोमीटर टनल का निर्माण होगा जबकि 14 किलोमीटर एलिवेटेड पुल के जरिए गुजरेगी। पटना मेट्रो रेल 32.12 किलोमीटर के दायरे में चलेगी। पहले कोरिडोर/ रूट का काम साढ़े तीन वर्ष के अंदर पूरा कर देने का लक्ष्य है। लिहाजा अनुमान है कि एक रूट पर वर्ष 2025 के जून तक मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हो जाएगा। जापानी कंपनी जायका से मेट्रो रेल परियोजना के लिए 5400 करोड़ ऋण देने की मंजूरी मिल गई है। मेट्रो रेल परियोजना के लिए 20 फीसद केन्द्र सरकार, 20 फीसद राज्य सरकार व 60 फीसद जायका के ऋण से वित्तीय प्रबंध होगा। पटना मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत 6 भूमिगत मेट्रो रेल स्टेशन-राजेन्द्र नगर मेट्रो स्टेशन, मोईनुल हक मेट्रो रेल स्टेशन, यूनिवर्सिटी मेट्रो रेल स्टेशन, पीएमसीएच मेट्रो स्टेशन, गाँधी मैदान मेट्रो स्टेशन एवं आकाशवाणी मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है। इस कोरिडोर की कुल लंबाई 8.08 किलोमीटर है। ज्ञात हो कि 25 सितम्बर 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष पटना मेट्रो

रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बीच एकरारनामा हो चुका है। राज्य सरकार ने राजधानी के दो कोरिडोर (रूट) पर मेट्रो रेल के परिचालन की हरी झंडी दी है। मेट्रो रेल परियोजना पर कुल 13365 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस परियोजना के द्वारा पटनावासियों एवं आगंतुकों को द्रुत, सुरक्षित एवं आरामदायक यातायात की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। यह पर्यावरण पोषक परियोजना होगी जिसमें मेट्रो स्टेशन एवं डिपो को हरित भवन के रूप में योजनाबद्ध कर सौर पैनल से पूरी तरह आच्छादित किया जाएगा। मेट्रो रेल के डिपो के लिए स्थल का चयन हो गया है। 75 एकड़ जमीन की व्यवस्था की जा रही है। इस पर एक हजार करोड़ खर्च होंगे। जानकारी के मुताबिक इंटर स्टेट बस टर्मिनल, बैरिया के आसपास ही डीपो के लिए स्थान देखा जा रहा है। पहाड़ी मौजा के पास रानीपुर में भी स्थल की पहचान की जा रही है। पहले चरण में मेट्रो रेल दो प्रस्तावित कोरिडोर/ रूटों पर चलेगी। ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर वन के तहत पहली मेट्रो सगुना मोड़/दानापुर कैंट से एम्स, दीघा रोड, डाक बंगला, मीठापुर, न्यू बाईपास, जीरो माइल, न्यू आईएसबीटी होते हुए पटना-मसौढ़ी रोड तक चलेगी।

दूसरी मेट्रो रेल नार्थ-साउथ कोरिडोर टू के तहत पटना जंक्शन भाया डाकबंगला, आकाशवाणी से घूमकर एसबीआई, ज्ञान भवन से पीएमसीएच तक चलेगी। इस रूट में मेट्रो अंडर ग्राउंड से साइंस कॉलेज, मोइनुलहक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर स्टेशन, न्यू बाईपास से खेमनीचक तक जाएगी। यहाँ मेट्रो बदलने की सुविधा होगी। कोरिडोर टू में पटना स्टेशन, आकाशवाणी, गाँधी मैदान, पीएमसीएच, पटना विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर व मोइनुल हक-7 स्टेशन अंडर ग्राउंड होंगे जबकि मलाही पकड़ी, खेमनीचक, भूतनाथ, जीरो माइल और न्यू आईबीएसटी - पाँच स्टेशन एलिवेटेड होंगे। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 23.8.2022)**

पूमरे के विभिन्न स्टेशनों पर 45 स्वचालित सीढ़ी और 76 लिफ्ट और लगाए जाएँगे

• 14 एस्केलेटर और 49 लिफ्ट लगाने का कार्य प्रगति पर • पटना में चार, धनबाद में छह, हाजीपुर एवं मुजफ्फरपुर में क्रमश: दो-दो स्वचालित सीढी लगाने का कार्य प्रगति पर • प्रमुख स्टेशनों पर अब तक 31 स्वचालित सीढ़ी और 27 लिफ्ट लगाए जा चुके

पूर्व मध्य रेल द्वारा ट्रेनों और स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं लगातार विस्तार हो रहा है। प्रमुख स्टेशनों पर स्वचालित सीढ़ी और लिफ्ट लगाए जा रहे हैं। इससे वरिष्ठ नागरिक, महिला एवं दिव्यांग विशेष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं।

पूर्व मध्य रेल के प्रमुख स्टेशनों पर अब तक 31 स्वचालित सीढ़ी और 27 लिफ्ट लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा विभिन्न स्टेशनों पर 14 स्वचालित सीढ़ी और 49 लिफ्ट लगाने का कार्य प्रगति पर है। इस तरह पूरे पूर्व मध्य रेल क्षेत्र में 45 स्वचालित सीढ़ी और 76 लिफ्ट लगाने की योजना है।

पटना, राजेन्द्रनगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, गया, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, धनबाद, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं दरभंगा स्टेशनों पर 31 स्वचालित सीढ़ी लगाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त पटना में चार, धनबाद में छह, हाजीपुर एवं मुजफ्फरपुर में क्रमश: दो-दो स्वचालित सीढ़ी लगाने का कार्य प्रगति पर है। इसमें से मुजफ्फरपुर में दो स्वचालित सीढ़ी चालू वित्त वर्ष 2022-23 में चालू हो जाएगा। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 5.9.2022)**

बेनामी संपत्ति : सजा का कानून रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम के एक प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसमें बेनामी लेनदेन में संलिप्त लोगों के लिए अधिकतम तीन साल तक के कारावास या जुर्माना (संपत्ति की बाजार दर का 25 फीसदी) या दोनों सजा की बात है। अदालत ने प्रावधान को स्पष्ट रूप से मनमाना होने के आधार पर असंवैधानिक करार दिया।

मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की पीठ ने कहा, हम बेनामी लेनदेन (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 की धारा 3 (2) को असंवैधानिक ठहराते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 20 (1) (ऐसे अपराध में सजा नहीं दी जा सकती है जिसके लिए कोई कानून नहीं है) के तहत असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि 25 अक्टूबर 2016 से पहले की गई खरीद फरोख्त की कार्यवाही पर कोई जब्ती या अभियोजन नहीं होगा।

क्या है बेनामी लेनेदेन : फर्जी नाम से खरीद फरोख्त की जाए, मालिक को पता नहीं हो या वह उस संपत्ति के स्वामित्व से खुद को अलग कर ले, जिसने संपति खरीदने के लिए पैसे दिए हों उसका पता नहीं चल रहा हो। केन्द्र सरकार ने काले धन के लेनदेन को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी को लेकर बेनामी संपत्ति कानून भी सुर्खियों में रहा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 24.8.2022)

इ-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड करने के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर

• 2.84 करोड़ श्रमिक रजिस्टर्ड बिहार में • 56% महिला श्रमिक, तो पुरुषों का 44 फीसदी

श्रम और रोगजार मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराने के मामले में देशभर में बिहार दूसरे स्थान पर है। बिहार में लगभग 2.84 करोड़ श्रमिक रजिस्टर्ड है। इस मामले में उत्तर प्रदेश लगभग 8.29 करोड़ के आधार पर पहले स्थान पर है। श्रम और रोगजार मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार बंगाल के बाद बिहार की महिलाएँ देशभर में सबसे अधिक काम करने वाली हैं। जबकि पुरुषों में सिर्फ मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है, जहाँ महिलाओं से ज्यादा पुरुष श्रमिक है।

इ-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत पिछले सप्ताह के आंकड़े यही बयां कर रहे हैं। देश में लगभग 28.20 करोड़ कामगार पंजीकृत हो चुके हैं। बिहार में 2.84 करोड़ श्रमिक पंजीकृत हुए हैं। यहाँ महिला कामगार लगभग 56 फीसदी तो पुरुषों तो पुरुषों का फीसदी 44 है।

राज्य	संख्या	महिला	पुरुष
उत्तर प्रदेश	8.29 करोड़	52.36%	47.64%
बिहार	2.84 करोड़	56.03%	43.97%
प. बगाल	2.56 करोड़	54.23%	45.76%
मध्यप्रदेश	1.64 करोड़	48.26%	51.74%
ओडिशा	1.32 करोड़	52.10%	47.89%

(विस्तृत : प्रभात खबर, 05.9.2022)

100 भारतीय ब्रांड बनेंगे ग्लोबल चैंपियन

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने विकसित भारत के लिए पेश किया भविष्य का खाका

• 2030 तक दो लाख करोड़ डालर निर्यात का लक्ष्य • 675 अरब डालर है अभी देश का वस्तु एवं सेवा निर्यात • व्यापार के अनुभवी लोग भी मंत्रालय में सरकार के लिए काम करेंगे

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने 2030 तक निर्यात को दो लाख करोड़ डालर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मंत्रालय के स्वरूप में बदलाव के साथ पूरी कार्यशैली को बदला गया है। अब मंत्रालय के अधिकारी ट्रेड इंटेलिजेंस व डाटा एनालिसिस की मदद से निर्यातकों की मदद करने का भी काम करेंगे। निजी सेक्टर के अनुभवी लोग बतौर अधिकारी मंत्रालय में काम करेंगे। देश के 100 भारतीय ब्रांड को ग्लोबल चैंपियन बनाया जाएगा और देश भर में इकोनमिक जोन स्थापित किए जाएंगे।

जीईएम को प्रभावी बनाने के लिए एआइ के इस्तेमाल पर विचार : केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने को कहा कि कहा कि गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) से जुड़ी खरीदारी प्रक्रिया प्रभावी बनाने के लिए सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के इस्तेमाल पर विचार कर रही है। उन्होंने इस दिशा में उद्योगों से भी सहयोग मांगा। गोयल ने कहा कि यदि उद्योग जीईएम से जुड़े उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं तो वे खुलकर इसकी जानकारी दें।

विकसित देशों के साथ किए जा रहे मुक्त व्यापार समझौते : पीयूष गोयल ने बताया कि 2 ट्रिलियन डालर निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए जा रहे हैं। इस दौरान अलग-अलग मुद्दों पर वार्ता के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए जा रहे हैं। निर्यात बढ़ाने के लिए राज्यों की भागीदारी बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भी अब तक निर्यात में बढ़ोतरी हमारे अनुमान के मुताबिक है। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 24.8.2022)**

गैर संगठित कामगारों को भी मिलेगी ईएसआइसी की सुविधा

गैर-संगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने की कवायद शुरू हो गई है। जल्द ही इन गैर संगठित कामगारों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) के अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिल सकती है। श्रम मंत्री भूपेन्द्र यादव के मुताबिक, देश के 744 जिलों में ईएसआइसी की सुविधा इस साल के अंत तक उपलब्ध करा दी जाएगी। ईएसआइसी के अस्पतालों में आयुष्मान योजना को भी जोड़ा जा रहा है।

घरेलू कामगारों की सर्वे रिपोर्ट साल के अंत तक : श्रम मंत्री भूपेन्द्र यादव ने बताया कि घरेलू कामगारों का सर्वे किया जा रहा है। साल के अंत तक इसकी रिपोर्ट आ आएगी। घरेलू कामगारों में घर के बाहर चौकीदारी करने वालों से लेकर घरों से जुड़े विभिन्न प्रकार के काम करने वालों को शामिल किया जाएगा। इन कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के साथ पेंशन सुविधा से जोड़ने की योजना है। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 24.8.2022)**

वोटर आईकार्ड को आधार से जोड़ने का प्रावधान स्वैच्छिक

निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) को अपने आधार से जोड़ने का प्रावधान मतदाताओं के लिए स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं। आयोग तृणमूल कांग्रेस के उस दावे का जवाब दे रहा था कि अधिकारी लोगों को मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आयोग ने कहा कि फॉर्म 6बीं (आधार विवरण साझा करने के लिए जारी नया फॉर्म) में आधार का विवरण देना 'स्वैच्छिक' है। आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी निर्देशों का 'लिंक' साझा करते हुए कहा, इस आधार पर मतदाता सूची से किसी का नाम नहीं काटा जाएगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 23.8.2022)

अनिसाबाद से दीदारगंज तक एलिवेटेड सड़क

पटना के अनिसाबाद से दीदारगंज तक करीब 14 किसी लंम्बाई में फोरलेन एलिवेटेड सड़क बनेगी। पहले यह सड़क अनिसाबाद से कच्ची दरगाह तक करीब 15 किमी की लंबाई में बननी थी, लेकिन एनएचएआइ की तरफ से इसमें संशोधन किया गया है। भारतमाला फेज-2 के तहत इस नयी सड़क को बनाने के लिए डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसकी अनुमानित लागत करीब 1500 करोड़ रुपये होगी।

फरवरी, 2023 में इस सड़क को बनाने की शुरूआत होगी और इसका निर्माण 2025 में पूरा होने की संभावना है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 9.9.2022)**

नई राह पर कटलरी यूनिटें, शीघ्र शुरू होगा कंपोजिट उत्पादन

बिहार का कटलरी उद्योग नई राह पर चल पड़ा है। फिलहाल चार कारखानों में बने कंपोजिट प्लास्टिक कप, ग्लास आदि केन्द्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान यानी सिपेट की अंतरिम जांच रिपोर्ट में सही पाए गए हैं। उम्मीद यह कि उत्पादन अक्टूबर से शुरू हो जाएगा।

एक जुलाई को लगा था प्रतिबंध : एक जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा था। इसके बाद बिहार के 29 कटलरी कारखाने बंद हो गए थे। हालांकि बाद में ब्रांडेड कंपनियों को शर्तों के साथ आपूर्ति की मंजूरी भी दी गई थी। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 11.9.2022)**

कमाई के लिए रेल की जमीन पट्टे पर

पीएम गतिशक्ति योजना को कैबिनेट की मंजूरी

कैबिनेट ने बुधवार 7 सितम्बर 2022 को महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रेलवे की भूमि को माल ढुलाई और अन्य सार्वजनिक कार्य के लिए निजी क्षेत्र को दीर्घकालिक पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पीएम गति शक्ति योजना को लागू करने के लिए रेलवे की भूमि को 35 वर्ष के लिए पट्टे पर देने के प्रस्ताव को अनुमति दे दी जिसके तहत अगले पाँच वर्ष में 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।

(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 8.9.2022)

69 अनुसूचित नियोजनों की दिनांक 01-09-2022 से प्रभावी न्यूनतम मजदूरी की दरें

क्र० सं०	कामगारों की श्रेणी	दिनांक 01.12.2016 को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें	दिनांक 1.4.2022 को परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	दिनांक 1.4.2022 को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें कुल (3+4)	दिनांक 1.4.2022 को निर्धारित दर पर 15% वृद्धि के पुनरीक्षण का लाभ	निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें दिनांक 01.09.2022 से लागू
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	237.00	81.00	318.00	48.00	366.00 प्रति दिन
2	अर्द्धकुशल	247.00	83.00	330.00	50.00	380.00 प्रति दिन
3	कुशल	301.00	102.00	403.00	60.00	463.00 प्रति दिन
4	अतिकुशल	367.00	125.00	492.00	74.00	566.00 प्रति दिन
5	पर्यवेक्षीय/ लिपिकीय	6799.00	2312.00	9111.00	1367.00	10478.00 प्रति माह

शराब की जब्त बोतलों से बनेंगी रंग-बिरंगी चूड़ियाँ

शराब की बोतलों से चूड़ियाँ बनाई जाएँगी। जब्त बोतलों को नष्ट करने के बाद शीशे का जो चूर्ण बच जाता है उससे चूड़ियाँ बनाने का काम होगा। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने जीविका दीदी को इसकी जिम्मेदारी दी है। उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने सोमवार दिनांक 5.9.2022 को बताया कि शराबबंदी लागू होने के बाद से बड़ी मात्रा में देसी-विदेशी शराब की खेप पकड़ी जा रही है। शराब को नष्ट किए जाने के दौरान बोतलों को भी नष्ट कर दिया जाता है। नष्ट करने के बाद भी शीशे की बोतलों का चूर्ण बच जाता है। अब इन्हीं टूटी बोतलों के चूर्ण से जीविका की दीदी कांच की चूड़ियाँ बनाएंगी।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 6.9.2022)

सदर अनुमंडल कार्यालय ट्रांजिट हॉस्टल में हुआ शिफ्ट

पटना सदर अनुमंडल कार्यालय को आयकर चौराहा स्थित ट्रॉजिट हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया है। अब लोगों को अनुमंडल कार्यालय में काम कराने के लिए वीरचंद पथ स्थित ट्रांजिट हॉस्टल में जाना होगा। इधर, पुराने समाहरणालय परिसर में अब भी कातिब काम कर रहे हैं।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 7.9.2022)

दिल्ली की तरह पटना में एंटी स्मॉग गन से वायु प्रदूषण पर कंट्रोल

स्वच्छ हवा का अंतरराष्ट्रीय दिवस पर दो एंटी स्मॉग गन का लोकार्पण

शहर के लोगों को इस बार ठंड के दिनों में वायु प्रदूषण से राहत मिलेगी। पटना नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने वायु प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए दिल्ली की तर्ज पर पटना में दो एंटी स्मॉग गन मंगाई है। दिल्ली की तरह पटना की सड़कों पर धूल-कण को नियंत्रण करने के लिए सड़कों पर एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल हर दिन किया जाएगा। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 8.9.2022)**

सूबे के थानों में बातचीत की भी होगी रिकॉर्डिंग

सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के बाद सीसीटीवी भी अपग्रेड हो रहे

थाने में पुलिसकर्मी हों या कोई बाहरी व्यक्ति, हर एक गतिविधि पर कैमरे की नजर होती है। पर अब यहाँ किसी शख्स की मौजूदगी की गवाही सिर्फ तस्वीरें नहीं देंगी, जुबान से निकले हर एक शब्द की भी रिकॉर्डिंग होगी। थानों में लगे सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरों के साथ बातचीत भी रिकॉर्ड की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत थानों में लगे सीसीटीवी कैमरे को अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि वहाँ होनेवाली बातचीत रिकॉर्ड हो सके।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 13.9.2022)

बिजली व्यवस्था सुधारने पर खर्च होंगे नौ हजार करोड़

आगामी चार वर्षों में राज्य की बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार और तकनीकी व व्यवसायिक नुकसान कम करने के मद में बिजली कंपनी नौ हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके तहत आधारभूत संरचनाओं पर 6625 करोड़ खर्च होंगे। जबकि 1993 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने के मद में खर्च होंगे। इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी (आईटी ओटी) मद में 400 करोड़ खर्च होंगे। इस पैसे से भविष्य में राज्य की जरूरतों के अनुसार ग्रिड, पावर सब-स्टेशन, फीडर, तार-पोल व ट्रांसफॉर्मर लगाए जाएँगे।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 13.9.2022)

अब शनिवार को भी काम करेगा पटना हाईकोर्ट

मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की पहल पर पटना हाईकोर्ट के कुछ न्यायाधीश स्वेच्छा से अब शनिवार को भी काम करेंगे, ताकि लंबित नियमित जमानत याचिकाओं की संख्या को कम दिया जा सके। सिर्फ महीने के दूसरे शनिवार को अवकाश पर रहेंगे। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 12.9.2022)**

बिहार माडल की तर्ज पर पूरे देश के लिए आया तत्पर एप

एनएच यानी राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव में अब बिहार के रोड सेक्टर में वर्षों से चल रहे माडल की तर्ज पर काम शुरू होगा। पिछले दिनों बेंगलुरु में एनएच के रख-रखाव और निर्माण की नई तकनीक पर हुए मंथन में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तत्पर एप को लांच किया। इस एप के जो कंटेंट हैं वह बिहार में कई वर्षों से लागू रोड मेंटेनेंस पालिसी के कंटेंट के आधार पर हैं।

ऐसी संभावना है कि एक पखवाड़े के अंदर एनएच के रखरखाव के लिए तत्पर एप काम करने लगेगा। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 12.9.2022)**

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति मंजूर

अब बिना रुकावट के हो सकेगी वस्तुओं की आपूर्ति

केन्द्रीय कैबिनेट ने दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य परिवहन की लागत को कम करना और देश के दूर-दराज के क्षेत्रों तक वस्तुओं की आपूर्ति को बिना किसी रुकावट के तेज गति से करना है। इसके तहत प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, नियामकीय ढांचे, कौशल विकास और प्रौद्योगिकियों के जरिये लॉजिस्टिक सेवाओं व मानव संसाधन में दक्षता लाने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले दिनों राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति पेश की थी। इस नीति को पेश करते हुए उन्होंने कहा था कि हमें कारोबार की मौजूदा लॉजिस्टिक लागत को 13-14 प्रतिशत से घटा कर जल्द से जल्द उसे एक अंक यानी 10 प्रतिशत से नीचे लाना चाहिए। इस नीति में लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए विस्तृत रूपरेखा तय करने के साथ परिवहन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जायेगा।

क्या है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति : राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति में सिंगल रेफरेंस प्वाइंट बनाया गया है। इसका मकसद अगले करीब 10 सालों में लॉजिस्टिक्स सेक्टर की लागत को 10 प्रतिशत तक लाना है, जो अभी जीडीपी का करीब 13-14 प्रतिशत है। फिलहाल माल ढुलाई यानी लॉजिस्टिक्स का ज्यादातर का काम देश में सड़कों व उसके बाद रेलों से होता है। अब माल ढुलाई का काम शिपिंग व एयर ट्रांसपोर्ट से भी होगा। इससे लाभ यह होगा कि सड़कों पर ट्रैफिक कम होगी और दूसरे ईंधन की भी बचत होगी। विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स इंडेक्स 2018 के मुताबिक दुनिया के बड़े देशों के मुकाबले भारत माल ढुलाई के खर्च के मामले में 44वें स्थान पर है। इसका मतलब है कि भारत विकसित देशों अमेरिका, चीन व जापान जैसे देशों से पीछे है। लॉजिस्टिक्स के खर्च के मामले में जर्मनी नंबर वन है। देश के हर हिस्से में प्रत्येक जरूरी चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं। ऐसे में व्यापारियों को अपना माल, कच्चा माल व अन्य जरूरी चीजें एक जगह से दूसरी जगह ले जानी पड़ती हैं। इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम करता है, जो चीजों को तय समय पर तय जगह पर पहुँचाता है। इसे ही माल ढुलाई कहते हैं।

उद्योग जगत को यह होगी सुविधा : • यूलिप यानी यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म की होगी शुरूआत • निर्यातकों को परिवहन से जुड़ी सभी डिजिटल सेवा एक पोर्टल पर मिलेगी • ई लॉग्स यानी इज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज पोर्टल का होगा शुभारंभ • इस मंच पर उद्योग संचालन व प्रदर्शन में जुडी समस्याओं को बता सकेंगे।

इस नीति का उद्देश्य : • लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाना • रसद निर्माताओं की समय व धन की बचत करना • कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकना • रोजगार के अवसरों को बढ़ाना • एमएसएमइ का और तेजी से विकास करना

"राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति पर निर्णय से वृद्धि को गति मिलेगी। वैश्विक व्यापार में भागीदारी बढ़ेगी। इससे देश के किसानों व एमएसएमइ क्षेत्र को विशेष रूप से लाभ होगा।

– **नरेन्द्र मोदी**, प्रधानमंत्री

(साभार : प्रभात खबर, 22.9.2022)

माननीय मंत्री, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार पटना की अध्यक्षता में 20 सितम्बर 2022 को जीएसटी एवं अन्य कराधान संबंधी मामलों पर आयोजित संवाद में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से समर्पित ज्ञापन

1. **एक मुश्त समाधान योजना (OTS)** -

जीएसटी के लागू होने के पश्चात् सरकार ने वैट एवं वैट पूर्व टैक्स प्रणाली के अन्तर्गत लंबित विभिन्न मामलों के निपटारे हेतु दो बार एकमुश्त समाधान योजना पेश की थी जो कि काफी सफल रही और काफी हद तक पुराने लंबित मामलों का निष्पादन भी हुआ लेकिन मार्च 2020 से आयी कोविड महामारी की वजह से बहुत सारे करदाता उक्त OTS योजना का लाभ नहीं उठा सके और काफी मामले आज भी विभिन्न स्तरों पर लंबित पड़े हैं ।

हमारा सरकार से निरन्तर अनुरोध रहा है कि अंतिम बार के लिए एक बार पुनः उक्त योजना को लाया जाए ताकि जो व्यावसायी लाभ नहीं उठा सके हैं उन्हें एक बार मौका मिले और शेष बचे हुए मामलों में से अधिकाधिक का निपटारा हो सके ।

2. **जीएसटी कार्यान्वयन से संबंधित**

i. ऐसा देखने में आ रहा है कि इन दिनों राज्य कर विभाग ने ऐसे करदाताओं के यहाँ निरीक्षण करना शुरू कर दिया है जिन्होंने अपने कर दायित्व का पूरा का पूरा समायोजन इनपुट टैक्स क्रेडिट से किया है और कोई भी राशि नगद भुगतान नहीं की है।

इस सम्बन्ध में हमारा सुझाव होगा कि इस तरह की कारवाई के पूर्व करदाता को एक नोटिस के द्वारा कारण बताने की सुविधा अवश्य दी जानी चाहिए और समुचित जवाब मिलने पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए अन्यथा विभाग निरीक्षण करने की ओर बढ़ने के लिए स्वतंत्र हो जाए ।

ii. ऐसा देखने में आ रहा है कि वर्ष 2017–18/2018–19 की स्क्रुटनी/ऑडिट के दौरान इन्पुट क्रेडिट का मिलान GST2A के अनुसार किया जा रहा है जबकि प्रथम वर्ष होने के कारण अधिकांश करदाताओं द्वारा काफी भूल हुई थी। यदि ऑफिसर को आवश्यकता महसूस होती हो तो करदाता से बीजक की मांग अवश्य की जा सकती है लेकिन GSTR2A के अनुसार उक्त करदाता का इन्पुट मिलाना सर्वथा उचित नहीं होगा। यूं भी GSTR2A की कल्पना Oct. 2019 के बाद की गई है जिसपर उचित दिशा–निर्देश जारी करने की आवश्यकता है।

iii. जीएसटी कार्यान्वयन के प्रथम दो वर्ष 2017.18 एवं 2018.19 में छोटी–मोटी भूल का होना स्वाभाविक है क्योंकि एक नई कर व्यवस्था होने के कारण करदाताओं को नियमों की पूरी जानकारी नहीं रही ।

सरकार ने ऐसा आश्वासन भी दिया था कि शुरूआती दो वर्षों के लिए करदाता को छोटी भूल के लिए उन पर किसी तरह की कारवाई नहीं की जाएगी, लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि विभाग द्वारा 2017–18 एवं 2018–19 की स्क्रूटनी अथवा ऑडिट के दौरान नरम रूख नहीं अपनाया जा रहा है और छोटी–छोटी त्रुटियों के लिए दण्ड लगाया जा रहा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है ।

iv. विभाग द्वारा जीएसटी की धारा 83 के तहत् करदाता के बैंक खाते को प्रोविजनली अटैच करने के प्रावधान को भी एक सामान्य प्रक्रिया के तहत व्यवहार में लाया जा रहा है जिसे विशेष परिस्थितियों में ही लगाया जाना चाहिए ।

v. यदि कोई करदाता विभाग को किसी तरह की जानकारी /स्पष्टीकरण/जवाब देना चाहता है तो वर्तमान में ऐसी कोई ऑफलाईन सुविधा प्राप्त नहीं है ।

हमारा सरकार से सुझाव होगा कि ऐसा दिशा–निर्देश दिया जाए कि करदाता को ऐसी व्यवस्था पावती के साथ उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

vi. यदि माल के परिवहन के दौरान किसी भी प्रकार की कानूनी अवहेलना की वजह से दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है तो उस परिस्थिति में लगाए गए कर/अर्थ दण्ड का भुगतान परिवहनकर्त्ता के ID पर करवाया जाता है जिसकी वजह से भविष्य में सम्बन्धित आपूर्तिकर्त्ता/खरीददार को उक्त रकम का समायोजन/रिफण्ड प्राप्त करने में काफी दिक्कत आती है ।

हमारा सुझाव होगा कि परिवहन के दौरान लगाए गए कर /अर्थदण्ड का भुगतान आपूर्तिकर्ता/खरीददार/प्राप्तकर्त्ता का ID पर ही करवाया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश देने की आवश्यकता है ।

vii. **माल की आपूर्ति/वीजक जारी होने के पश्चात् दिया जाने वाला डिस्काउंट** –

व्यवसाय के क्रम में आपूर्तिकर्त्ता द्वारा माल की आपूर्ति के पश्चात वीजक जारी होने के पश्चात भी डिस्काउंट देना एक सामान्य प्रक्रिया है ।

ऐसा देखने में आता है कि विभाग द्वारा उक्त दिए जाने वाले डिस्काउंट के सन्दर्भ में नकरात्मक/संदेहात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है और करारोपण लगाने की सोच रहती है । इस सम्बन्ध में हमारा सुझाव होगा कि एक व्यवहारिक गाइडलाइन जारी करने की आवश्यकता है ।

3. **GST कानून से संबंधित कुछ ज्वलंत समस्याएं**

जीएसटी से जुड़े मामलों पर राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी कॉउन्सिल के द्वारा निर्णय लिया जाता है फिर भी व्यवसायियों एवं उद्यमियों के विभिन्न समस्याओं को बिहार चैम्बर आपके समक्ष रखता रहा है ताकि आपके माध्यम से हमारी बातें जीएसटी काउंसिल तक पहुँचायी जा सके और उसका समाधान हो सके । इसी दिशा में जीएसटी से संबंधित कुछ ज्वलंत समस्याएं हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं जो निम्न है :–

I. **जीएसटी न्यायाधिकरण का गठन**

सरकार को अविलम्ब GST Tribunal का गठन करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से करदाताओं को काफी परेशानी हो रही है। हरेक करदाता कर विवाद की परिस्थितियों में न्याय हेतु उच्च न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता है । यद्यपि सरकार ने इस संबंध में प्रयास शुरू किए हैं लेकिन पॉच साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी GST Tribunal का गठन ना हो पाना बहुत कष्टप्रद है ।

ii. **इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं रिटर्न में संशोधन की सुविधा हेतु नए रिटर्न फार्मूले को लागू करने पर पुनर्विचार**

इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी का आधार है और जीएसटी की पूरी अवधारणा इनपुट टैक्स क्रेडिट पर आधारित है और जब इसी से संबंधित प्रावधानों को गैर व्यवहारिक रूप दे दिया जाए तो निसंदेह परिणाम अच्छे नहीं होंगे ।

आज के दिन देश का अधिकांश निम्न एवं मध्यम स्तर का करदाता जीएसटी को एक काला कानून के रूप में देखने लगा है और उसे हर समय भय सताते रहता है कि कहीं उससे भूल ना हो जाए। अपनी आर्थिक गतिविधियों पर समुचित ध्यान नहीं दे कर वो नियमों को ही देखने में लगा रहता है कि कहीं किसी तरह की चूक ना हो जाये और दंड एवं परेशानी का सामना नहीं करना पड़े ।

जीएसटी के मूल स्वरूप में GSTR 1, GSTR 2 एवं GSTR 3 की व्यवस्था की गई थी एवं Provisional Input Tax Credit का भी प्रावधान था । यदि किसी भी कारण से किसी सप्लायर्स द्वारा रिटर्न फाईल नही किए जाने पर, यानि बीजक अपलोड नही

किए जाने पर, प्राप्तकर्त्ता अपनी तरफ से उक्त बीजक को अपने द्वारा फाईल की जाने वाली GSTR2 में अपलोड कर सकता था लेकिन प्रारंभिक तकनीकी खामियों की वजह से मूल स्वरूप को ही तत्काल के लिए स्थगित कर दिया गया था जिसे कि बाद में पूरी तरह से नकार दिया गया।

तत्पश्चात जीएसटी में सुधार के क्रम में नंदन नीलकेनी जी के सुझावों के अनुरूप नए रिटर्न फार्मूले को स्वीकार किया गया था जिसमें कि रिटर्न में संशोधन एवं साथ ही साथ छूटे हुए बीजक ;सप्लायर्स द्वारा रिटर्न फाइल नहीं करने पर क्रेता द्वारा अपनी तरफ से खरीद के बीजक का ब्योराद्ध को अपलोड करने की सुविधा को समाहित किया गया था लेकिन उक्त नए रिटर्न फार्मूले को लागू करने की तिथि को पहले तो कई बार विस्तारित किया गया और बाद में उसे भी नकार दिया गया ।

जैसाकि ज्ञात हुआ है कि सरकार ने वित्तीय बिल 2022 के द्वारा Provisional Input Tax Credit के प्रावधान को ही हटा दिया है और आज के दिन वर्तमान नियमों के तहत व्यवसायियों को ITC लेने में बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि संबंधित नियम काफी कठिन बना दिए गए हैं । दूसरी ओर रिटर्न में किसी भी तरह के भूल को सुधारने का भी कोई विकल्प नहीं है । हमारा सरकार से सुझाव होगा कि नंदन नीलकेनी के नए रिटर्न फार्मूले को लागू करने के लिए पुनः विचार किया जाना चाहिए ।

iii. <u>E-Way Bill</u>

A. 1 जनवरी 2021 से लागू नियम 138(10) के तहत E-way bill की वैद्यता की समय सीमा प्रत्येक 200 किलोमिटर के लिए 1 दिन कर दी गई है जिसकी वजह से काफी परेशानी हो रही है । इसे पूर्व की भांति प्रत्येक 100 किलोमिटर पर 1 दिन कर देना चाहिए।

B. सरकार ने E-way bill को ब्लॉक करने का प्रावधान कर दिया है जिसके तहत लगातार दो माह का रिटर्न फाइल नहीं होने पर E-way bill ब्लॉक कर दिया जाता है । उक्त 2 महीने का समय काफी कम है । इसे सामान्य श्रेणी के लिए 6 महीने की रिटर्न एंड कम्पोजिशन श्रेणी के लिए 2 त्रैमासिक की रिटर्न फाइल नहीं होने पर लागू किया जाना चाहिए ।

C. **<u>E-Way Bill में मामूली विसंगतियों के कारण ईमानदार करदाताओं पर आर्थिक जुर्माना</u>**

जीएसटी क अन्तर्गत ई–वे बिल में मामूली विसंगतियों पर भी बहुत अधिक जुर्माना लगाया जाता है जिससे भ्रष्ट आचरण में भी वृद्धि होती है । इस सन्दर्भ में सर्कुलर नं0 64/38/2018 GST दिनांक 14.9.2018 जारी किया गया जिसके अन्तर्गत छोटी–छोटी विसंगतियों के लिए (500+500) कुल 1000 रूपया जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया परन्तु उक्त सर्कुलर सभी लिपिकिय त्रुटियों को कवर नहीं करता है ।

अतः निम्नांकित विसंगतियों को भी इसके दायरे में समीक्षा किया जाना चाहिए :–

- चालान की तिथि में त्रुटि
- ई–वे बिल की समाप्ति (लेकिन वाहन सड़क पर था और यात्रा कर रहा था)
- ई–वे बिल में टैक्स रेट का गलत तरीके से चुना गया लेकिन ई–वे बिल एवं ई–इनवायस पर विवरण, मूल्य और एचएसएन का सही उल्लेख किया गया है ।

iv. **<u>अचल संपति के निर्माण पर इन्पुट टैक्स क्रेडिट</u>**

GST की धारा 17 (5) के अन्तर्गत अचल संपति के निर्माण से जुड़े इन्पुट क्रेडिट के दावे को स्वीकृत नही किया जा सकता है। उद्योग अथवा व्यापार में अचल संपति का निर्माण एक सामान्य घटना है। अचल संपत्ति का उपयोग उद्योग एवं व्यापार के परिसर के साथ में किया जाता है। साथ ही साथ अचल संपति को व्यापारिक उपयोग के लिए किराये पर भी लगाया जाता है जिसपर जीएसटी देय होता है । अतः सरकार को अचल संपति के निमार्ण से जुड़े इन्पुट टैक्स क्रेडिट को स्वीकृत करने पर विचार करना चाहिए ।

v. **<u>बिलम्ब शुल्क में कमी</u>**

सरकार ने जीएसटी के शुरूआती दौर में ही उस समय के मुख्य रिटर्न फार्म GSTR-3B के लिए लागू बिलम्ब शुल्क में कमी की थी लेकिन अन्य फार्म यथा – GSTR-1, GSTR-4, GSTR-7, GSTR-9 एवं GSTR-10 के लिए लागू बिलम्ब शुल्क यथावत रह गए और वर्तमान में उन सभी पर 200/– रूपया प्रतिदिन (100 केन्द्र एवं 100 राज्य) का शुल्क देय होता है ।

हमारा सरकार से सुझाव होगा कि जीएसटी के अन्तगर्त सभी फार्म पर विलंब शुल्क में कमी की जानी चाहिए और उसे GSTR-3B के लिए लागू विलंब शुल्क के समान ही कर देना चाहिए ताकि देरी होने पर भी व्यवसायी विलंब शुल्क की अधिकता की बजह से फाईल ही ना करे और एमनेस्टी स्कीम का इंतजार करें ऐसी प्रवृति को प्रश्य नहीं मिले ।

उदाहरणस्वरूप जिन करदाताओं द्वारा अपना निबंधन सरेंडर कर दिया जाता है लेकिन यदि कोई करदाता भूलवश GSTR-10 फाईल करना भूल जाता है उन्हें GSTR-10 के लिए भी 200 रूपया प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क का भुगतान करना पड़ता है जो कि काफी असहनीय होता है।

अधिकांशतः ऐसे करदाताओं की ना तो कोई करदेयता शेष रहती है और ना ही कोई स्टॉक शेष रहता है और वैसी परिस्थिति में 200 रूपया प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क का भुगतान काफी कष्टप्रद होता हैं । हमारा सरकार से सुझाव होगा कि GSTR-10 के लिए विलंब शुल्क को पूरी तरह से माफ कर देना चाहिए।

इसी तरह से वार्षिक रिटर्न GSTR-9 के लिए भी 200 रूपये प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क देय होता है जो कि काफी ज्यादा है जिसपर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

vi. **<u>वार्षिक रिर्टन GSTR-9 के संदर्भ में एमनेस्टी स्कीम</u>**

सरकार ने वार्षिक रिर्टन GSTR-9 के संदर्भ में बहुत ही उदार एवं सहयोगात्मक रूख रखा है और GST के प्रथम वर्ष 2017–18 से लेकर 2021–22 तक के हरेक वर्ष के लिए 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों के लिए ळैज्त्.9 फाईल करने की वाध्यता से मुक्त कर दिया था लेकिन 1.5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं को नियत तिथि तक रिटर्न फाइल ना करने पर विलंब शुल्क में कोई रियायत नही दी गई और उन्हें 200 रूपये प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क भरना पड़ता है जो कि काफी अधिक है।

सरकार ने 2017–18 एवं आगे के सभी वर्षो के लिए नियत तिथि का विस्तार किया लेकिन 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 के वर्षो के लिए नियत तिथि कोरोना काल के दौरान पड़ने के कारण बहुत सारे करदाता GSTR-9 फाईल नही कर सके और बाद में चाहकर भी विलंब शुल्क की अधिकता की वजह से फाईल करने के लिए उदासीन हो गए।

हमारा सरकार से सुझाव होगा कि वार्षिक रिटर्न के लिए भी चूक गए करदाताओं को एक मौका दिया जाना चाहिए और विलंब शुल्क को पूरी तरह से माफ अथवा कम कर देना चाहिए। ऐसा करने से सरकार को कुछ विशेष हानि नही होगी और करदाताओं का वार्षिक ब्योरा सरकार के पास उपलब्ध हो जाएगा।

नीचे लिखे तालिका से नियत तिथि का अवलोकन किया जा सकता हैः–

2017–18	–	31.01.2020
2018–19	–	31.12.2020
2019–20	–	31.03.2021
2020–21	–	28.02.2022

vii. **अमनेस्टी स्कीम**

रिटर्न फाईल करने पर इनपुट क्रेडिट के दावों को स्वीकार करना

A. सरकार ने अभी तक तीन बार GST में अमनेस्टी स्कीम की घोषणा की है लेकिन तीनो बार विलंब शुल्क में माफी की गयी लेकिन धारा 16(4) के तहत इन्पुट क्रेडिट प्राप्त करने की समय सीमा को नही बढ़ाया गया जिसकी वजह से करदाताओं में संशय की स्थिति है। सरकार को अविलंब अमनेस्टी स्कीम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट की समय सीमा को बढ़ा देना चाहिए।

B. **GSTR 1 के बिलम्ब शुल्क की माफी**

सरकार ने अपनी तीनों बार की लागू ऐमनेस्टी योजनाओं में GSTR-3B के लिए लागू बिलम्ब शुल्क को तो माफ कर दिया/कम कर दिया लेकिन GSTR-1 के लिए कोई भी चर्चा नहीं की गई । चूंकि GSTR 1 के लिए लागू बिलम्ब शुल्क का भुगतान रिटर्न फाइल करने के समय नहीं करना होता है, करदाता को उसका अहसास तत्काल तो नही होता है लेकिन बाद में कर निर्धारण/स्क्रुटनी के समय पदाधिकारी द्वारा बिलम्ब शुल्क की मांग की जा सकती है । अतः सरकार को सभी तरह के करदाताओं के लिए GSTR 1 पर लागू बिलम्ब शुल्क को सितम्बर 2021 तक के लिए माफ कर देना चाहिए ।

C. **(एमेनस्टी स्कीम से अलग) पूर्व में बिलम्ब शुल्क के भुगतान के साथ रिटर्न फाइल करने वाले करदाताओं को बिलम्ब शुल्क का रिफंड प्रदान करना**

सरकार ने GSTR 3B रिटर्न के बिलम्ब फाइल करने पर लागू बिलम्ब शुल्क की माफी हेतु अभी तक तीन बार एमेनस्टी स्कीम की घोषणा की है लेकिन हरेक बार उन्हीं को इस योजना का लाभ दिया गया जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की थी और वैसे करदाता जिन्होंने योजना का इंतजार किए बिना बिलम्ब शुल्क के साथ रिटर्न फाइल कर दी उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया जो कि किसी भी तरह से उचित नहीं है ।

पिछले कई समय से इस संबंध में हम ध्यान आकर्षित करते रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है । सरकार को इस योजना का लाभ सभी को देना चाहिए अन्यथा इसका गलत प्रभाव लोगों पर पड़ता है । सरकार को बिलम्ब शुल्क के रूप में किए गए भुगतान का सभी करदाताओं को रिफंड कर देना चाहिए । इस पर गंभीरता से यथाशीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता है ।

4. **उद्योग से संबंधित**

I. **वैट/जीएसटी, प्रतिपूर्ति**

बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत् दी जाने वाली वैट/जीएसटी प्रतिपूर्ति हेतु समुचित राशि का प्रावधान अविलंब किया जाना चाहिए ताकि लंबित दावों का भुगतान यथाशीघ्र सम्भव हो सके। प्रतिपूर्ति राशि के नहीं मिलने से उद्योगों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ।

ii. **विद्युत संबंधित**

हमारे राज्य में वर्त्तमान में लागू विद्युत दर काफी अधिक है और पड़ोसी राज्यों यथा झारखंड एवं बंगाल से तुलना की जाए तो यह दर 1½ से 2 गुणा अधिक होती है। उँची बिजली की दर की वजह से राज्य में अवस्थित उद्योगों की उत्पादन लागत पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा अधिक आती है और यही कारण है कि पड़ोसी राज्यों का उत्पाद आकर बिहार में बिक रहा है एवं राज्य के उद्योग बंदी की कगार पर जा रहे है।

इस संदर्भ में हमारा सरकार से सुझाव एवं आग्रह है कि बिजली की दर को पूर्णनिर्धारण करके पड़ोसी राज्यों के समकक्ष किया जाये अथवा उद्योगों को सब्सीडी के रूप में सहयोग राशि दी जानी चाहिए ताकि राज्य में उद्योगों को बन्द होने से बचाया जा सके।

उद्योगों को Level Playing Field देने के लिए One nation one tariff की भी बात हो रही है । इस संबंध में हमारा अनुरोध है कि इसे तुरन्त लागू किया जाए या बिहार सरकार Subsidise करके बिजली की दरों को पड़ोसी राज्य के बराबर करे ।

iii. **पावर एंड फ्यूल**

6% की दर से बिजली शुल्क बहुत अधिक है। यह पहले की तरह 0.2 पैसे प्रति यूनिट होना चाहिए या इसे वैटेबल बनाया जाना चाहिए और देय जीएसटी से समायोजित किया जाना चाहिए।

iv. **राज्य सरकार तथा इसके विभिन्न उपक्रमों में होने वाली खरीद में स्थानीय उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए :–**

राज्य में उत्पादित सामग्रियों की सरकार के साथ–साथ सरकार के उपक्रम, सरकार द्वारा गठित एजेंसी सबसे बड़े खरीददार होते हैं । स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने तथा उन्हें प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर सामग्री खरीद अधिमानता नीति बनायी जाती रही है । हमारा सुझाव होगा कि इकाई के L1 नहीं रहने पर भी स्थायी इकाईयों को L1 + 10% अधिकता के मूल पर कम से कम 30 प्रतिशत मात्रा स्थानीय इकाईयों से लिए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

साथ ही साथ स्थानीय इकाइयों को सरकार द्वारा घोषित सामग्री खरीद अधिमानता नीति का लाभ स्थानीय उद्यमियों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि विभिन्न विभागों द्वारा स्थानीय उद्योगों को रोकने के लिए निविदा में अनुभव एवं टर्नओवर की शर्त्तें लगा दी जाती है जिससे स्थानीय उद्योग वंचित रह जाते हैं । अतः यदि कोई विभाग द्वारा सरकार की खरीद नीति का पालन नहीं किया जाता है तो दण्ड का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है ।

पटना

दिनांक 20.09.2022

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296